

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ 1939 (श0) (सं0 पटना 457) पटना, मंगलवार, 23 मई 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 मई 2017

एस0ओ0 57, दिनांक 23 मई 2017—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में वर्ग-III एवं IV के कर्मचारियों की भर्त्ती-पद्धित एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

(सं0 बी0/स्था0(व्य0 न्या0)-07-01/2016/2709/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्त्ती, प्रोन्नित्त, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा-शर्ते) नियमावली, 2017

अध्याय-I

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ ।- (i) यह नियमावली बिहार सिविल कोर्ट अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्त्ती, प्रोन्नित्त, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा-शर्ते) नियमावली, 2017 कही जाएगी।
 - (ii) यह पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ बिहार राज्य के सभी सिविल कोर्ट में लागू होगी।
 - (iii) यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
 - 2. परिभाषा ।- इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) 'नियुक्ति' से अभिप्रेत है राजपित्रत अधिकारी (समूह-ख) के पद (समूह-ग) एवं (समूह-घ) के पदों पर सीधी भर्ती अथवा सीमित परीक्षा द्वारा अथवा प्रोन्नित द्वारा चयन, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शामिल हैं;
- (ii) **'नियुक्ति प्राधिकार'** से अभिप्रेत है- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना;
- (iii) 'समुचित मामले' से अभिप्रेत है, ऐसे मामले जो स्थायी सिमित द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये है;
- (iv) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी का सेवा बल;
- (v) **'केन्द्रीकृत सिमिति'** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 6(1) के अधीन गठित केन्द्रीकृत चयन एवं नियुक्ति सिमिति;
- (vi) 'मुख्य न्यायाधीश' से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय, पटना का मुख्य न्यायाधीश।
- (vii) 'सिविल कोर्ट' से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय, पटना के अधीनस्थ सिविल/फौजदारी न्यायालय;
- (viii) **'जिला'** से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और बंगाल, आगरा एवं असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887 के अधीन उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक जिला न्यायाधीश;
- (ix) 'जिला न्यायाधीश' से अभिप्रेत है संबद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
- (x) **'सरकार'** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (xi) 'उच्च न्यायालय' या 'पटना उच्च न्यायालय' से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय पटना;
- (xii) **'अधिकारी'** से अभिप्रेत है अनुसूची 'क' के समूह 'क' एवं समूह 'ख' में शामिल पदाधिकारियों की कोटि:
- (xii) 'विहित' से अभिप्रेत है इस नियमावली द्वारा विहित;
- (xiv) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है अनुसूची 'क' के समूह 'ग' एवं समूह 'घ' में शामिल कर्मी;
- (xv) **'स्टाफिंग पैटर्न'** से अभिप्रेत है अनुसूची 'ख' के परिशिष्ट 'क', 'ख' एवं 'ग' में शामिल सभी पद;
- (xvi) **'कौशल परीक्षण'** से अभिप्रेत है केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा समय-समय पर कार्य की प्रकृति के अनुसार यथा विहित परीक्षण;
- (xvii) कोई अन्य अभिव्यक्ति जो इस नियम में अनन्य रूप से परिभाषित न हो, पटना उच्च न्यायालय नियमावली, 1916 (समय-समय पर यथा संशोधित) में किये गये तदनुरूपी प्रावधान द्वारा शासित होगा।

अध्याय-II

स्थापना

- 3. इस नियमावली की आरम्भ की तिथि से और सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट के प्रशासन के लिये एक बिहार राज्य सिविल कोर्ट स्थापना सेवा गठित की जायेगी।
- 4. (i) अनुसूची 'क' में यथाविनिर्दिष्ट, प्रोसेस सर्वर (आदेशिका तामिलकर्ता) के पद और समूह 'ग' में चालक पद तथा समूह 'घ' के सभी संवर्गीय पद जो जिला संवर्ग के होगें, को छोड़कर सभी संवर्ग राज्य संवर्ग के होंगे।
- (ii) इस नियमावली के स्टाफिंग पैटर्न में विनिर्दिष्ट किसी पद पर इस नियमावली के आरंभ के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित सेवा संवर्ग नियुक्त समझे जाएंगे।

अध्याय-III

नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्ते

- 5. (i) स्टाफिंग पैटर्न में यथा विनिर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति की पात्रता हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी
 - (क) भारत का नागरिक;

- (ख) स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त;
- (ग) अच्छा चरित्र;
- (घ) अनुसूची 'क' में यथाविहित, आवश्यक अर्हताएँ एवं अनुभव।
- (ii) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित कोई संदेह उत्पन्न होने पर केन्द्रीकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय-IV

चयन, भर्ती एवं नियुक्ति की पद्धति।

- 6. सिमिति का गठन । (i) मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्देशित न्यायिक सेवा से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के एक रिजस्ट्रार को शामिल करते हुए तीन वरीयतम न्यायाधीशों को मिलाकर सीधी नियुक्ति अथवा सभी पदों पर प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ 'केन्द्रीकृत चयन और नियुक्ति सिमिति' नामक उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक केन्द्रीकृत सिमिति होगी।
 - (ii) महानिबंधक केन्द्रीकृत समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- (iii) केन्द्रीकृत सिमिति की सहायता के लिए, मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से उप निबंधक तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्हें केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा समय-समय पर, उपयुक्त एवं उचित समझा जाय, मिलाकर एक भर्त्ती कोषांग होगा।
- (iv) उपनियम-(iii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीकृत समिति लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण अथवा अन्य प्रयोजन हेतु किसी ख्यातिप्राप्त भर्ती ऐजेंसी की सेवा ले सकेगी।
- 7. (i) केन्द्रीकृत समिति इस नियमावली की अनुसूची 'क' में यथाविहित परीक्षा/सीमित परीक्षा, कौशल परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षा इत्यादि आयोजित करेगी।
 - (ii) केन्द्रीकृत समिति अनुसूची 'क' में यथाविहित साक्षात्कार और अन्य परीक्षण भी आयोजित करेगी।
- (iii) केन्द्रीकृत सिमिति, साक्षात्कार के प्रयोजनार्थ, मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से साक्षात्कार के संचालन हेतु एक या अधिक साक्षात्कार बोर्ड गठित कर सकेगी जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश होंगे।
- $(\mathrm{i} v)$ उपर्युक्त प्रावधान के अध्यधीन केन्द्रीकृत सिमिति मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से विशेष रूप से समूह 'घ' के पद के अधीन अभ्यर्थियों के चयन के लिए, चयन के माध्यम से रिक्तियों को भरने से संबंधित साक्षात्कार के संचालन के लिए वरीय जिला न्यायाधीशों के समूह का नाम निर्देशित कर सकेगी।
- 8. चयन की पद्धित ।- (i) प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में जिला न्यायाधीश विद्यमान रिक्तियों के साथ-साथ उसी वर्ष दिसम्बर माह तक होने वाली रिक्तियों को विनिश्चत करेगा और केन्द्रीकृत सिमिति को सूची भेजेगा।
- (ii) केन्द्रीकृत सिमिति, सीधी नियुक्ति के लिए उपलब्ध सभी रिक्त पदों के बारे में सभी न्यायमंडलों से जानकारी प्राप्त करने के बाद रिक्तियों को, कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक बिहार के जिलों में व्यापक परिचालन वाले हिंदी में तथा सभी सिविल कोर्ट, अनुमंडल सिविल कोर्ट तथा समाहरणालय के सूचना पट्ट पर भी केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा यथाविहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापित करेगी;

परंतु यह कि केन्द्रीकृत समिति, आवश्यकता पड़ने पर केवल एकल न्यायमंडल अथवा न्यायमंडल समूह के लिए पदों को विज्ञापित कर सकेगी।

(iii) **फीस ।**- पदों के किसी कोटि में सीधी भर्त्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से ऐसी शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की जा सकेगी जो केन्द्रीकृत समिति द्वारा प्रत्येक पद के संबंध में विहित की जाय;

परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से नि:शक्त कोटि के अभ्यर्थियों से उस पद के लिए यथा विहित शुल्क की आधी शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की जाएगी।

(iv) केन्द्रीकृत सिमिति, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, स्टेनोग्राफी परीक्षण तथा साक्षात्कार के साथ-साथ अन्य परीक्षण जो अनुसूची-'क' में विनिर्दिष्ट रूप से विहित किया गया हो, को भी नियुक्ति/प्रोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों की कार्य की विनिर्दिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संचालन करेगी:

परन्तु यह कि अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर, उसे कम करने के लिए केन्द्रीकृत सिमिति वस्तुनिष्ठ प्रश्न अथवा इसके द्वारा निर्धारित किसी अन्य पद्धति के आधार पर प्रारंभिक जाँच आयोजित कर सकती है।

केन्द्रीकृत सिमिति अंतिम परीक्षा के लिए 1 : 6 के अनुपात में अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

- (v) सिलेबस (पाठ्यक्रम) और अन्य विशिष्टियाँ, प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की पद्धित एवं परीक्षा संचालन से संबंधित कोई आनुषंगिक विषय उच्च न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अधिसृचित किए जाने वाले मार्गदर्शन के अनुसार होंगे।
- (vi) जहाँ तक समूह 'ग' में प्रोसेस सर्वर तथा समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति का संबंध है, केन्द्रीकृत सिमिति अनुसूची-'ख' में यथाविहित लिखित परीक्षा अथवा कोई अन्य परीक्षण तथा साक्षात्कार का संचालन करेगी और चयन की पद्धित अनुसूची 'घ' के अनुसार होगी।
- (vii) संबंधित पद के लिए जब एक बार लिखित परीक्षा पूर्ण हो जाय तो अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को मुहरबंद कर दिया जाएगा और मूल्यांकन के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए भर्ती कोषांग, परीक्षक को उत्तर पुस्तिका भेजने के पूर्व, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीकृत सिमिति के निदेशानुसार इस प्रयोजनार्थ नाम निर्देशित निबंधक अथवा कोई अन्य प्राधिकृत वरीय अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का कोड करने की प्रक्रिया का उपयोग करेगा।
- (viii) लिखित परीक्षा की मेधासूची न्यायालय के वेबसाईट के साथ-साथ न्यायालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी। जहाँ कहीं भी लागू हो, यदि आवश्यक हो तो इसे कौशल परीक्षण में भी इसका अनुसरण किया जाएगा।
- (ix) लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण की मेधासूची तैयार की जाएगी और यथावश्यक संभव हो, 1:3 के अनुपात मे साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
- (x) साक्षात्कार, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीकृत समिति द्वारा नाम निर्देशित होने वाले उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संचालित किया जाएगा:

परन्तु यह कि केन्द्रीकृत समिति, यदि उचित समझे, साक्षात्कार के संचालन के लिए, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, दो से तीन वरीय जिला न्यायाधीश को नाम निर्देशित कर सकेगी।

- (xi) बागवानी, रसोईया, सिलाई, बढ़ईगीरी, इलेक्ट्रोनिक्स आदि में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को, संबंधित क्षेत्र में दक्षता प्रमाण पत्र उनके द्वारा दर्शाये जाने पर, लिखित परीक्षा, कौशल और साक्षात्कार में प्राप्त उनके अंको में समूह 'घ' के पदों के लिए, 10 अंक अधिक जोड़ा जाएगा।
- (xii) सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हतांक, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की शिथिलता के अध्यर्धीन 40 प्रतिशत पर नियत होगी:

परंतु यह कि केन्द्रीकृत सिमिति को मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, किसी पद के लिए साक्षात्कार में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंक नियत करने की शक्तित होगी।

(xiii) लिखित परीक्षा/प्रवीणता परीक्षण के साथ-साथ अन्य परीक्षण, यदि कोई हो, और साक्षात्कार को शामिल करते हुए चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, राज्य सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए, सफल अभ्यर्थियों का एक पैनल, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीकृत समिति द्वारा तैयार किए गए मानकों के आधार पर तैयार होने वाले इनके परिणाम के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। यह पैनल दो भागों, एक भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या तक सीमित रहेगा और अन्य रिक्तियों के 20 प्रतिशत ''प्रतीक्षा सूची'' नाम से होगा। ऐसे पैनल की समय सीमा अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी:

परंतु यह कि किसी वर्ष में चयन प्रक्रिया नहीं होने के मामले में, प्रतीक्षा सूची सहित पैनल का समय का विस्तार केन्द्रीकृत समिति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, आगे एक वर्ष की अधिकतम अविध के लिए किया जा सकेगा।

(xiv) प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी केवल विज्ञापित पद संख्या के विरूद्ध और पैनल के प्रथम भाग के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिए जाने और विहित अवधि में पद पर योगदान नहीं करने पर, नियुक्ति के लिए हकदार होंगे।

- 9. केंद्रीकृत सिमिति, मुख्य न्ययाधीश के पूर्व अनुमोदन से पैनल की अधिसूचना के बाद, सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र निर्गमन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थियों के नाम अनुसंशित करेगी।
- 10. योगदान का समय ।- (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी अपने पद पर जिस पर उसे नियुक्त किया गया हो, यथासंभव शीघ्र, किंतु नियुक्ति पत्र के प्रेषण और∕अथवा शासकीय उच्च न्यायालय वेबसाईट पर परिणाम के प्रदर्शन की तिथि के 30 दिनों के बाद योगदान नहीं कर सकेगा:

परंतु यह कि अभ्यर्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, केन्द्रीकृत सिमिति 30 दिनों के लिए योगदान के समय को विस्तारित कर सकेगी। फिर भी चयनित अभ्यर्थियों के विनिर्दिष्ट 30 दिनों अथवा विस्तारित 30 दिनों के भीतर योगदान करने में असफल रहने पर, उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी।

- (ii) योगदान के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकार अथवा इस प्रयोजनार्थ अधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित का सत्यापन करेगा:-
- (क) संबंधित अभ्यर्थी का निर्गत किए गए नियुक्ति पत्र के आधार पर शैक्षणिक और अन्य मूल प्रमाण पत्रः
 - (ख) उसके द्वारा दिए गए आवेदन से अभ्यर्थी के फोटो हस्ताक्षर एवं हस्तिलिपि;
- (ग) सेकेन्डरी विद्यालय परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र (जन्म तिथि अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ)
 - (घ) शारीरिक स्वस्थता का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित संस्थान/स्रोत से अपेक्षित हो। अभ्यर्थी का योगदान औपबंधित रूप से और उसके सही वास्तविक और प्रमाणिक पाए जाने के अध्यर्धीन स्वीकार किया जाएगा।

11. परिवीक्षा और संपुष्टि ।- (i) स्थायी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियाँ, नियुक्ति/योगदान की तिथि से दो वर्षों की अविधि के लिए परिवीक्षाधीन होगी:

परंतु यदि परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी का आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो नियुक्ति प्राधिकार केन्द्रीकृत समिति और मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, उसकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित कर सकेगा और विस्तारित अविध में भी उसका कार्य और/अथवा आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाय तो उसे बिना सुचना के सेवा से हटाया जा सकेगा।

- (ii) कोई भी व्यक्ति तबतक संपुष्ट नहीं किया जाएगा जबतक कि वह यथाविहित परिवीक्षा अविध को संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर लिया हो।
- (iii) परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय, परिवीक्षाधीन की सेवा, असंतोषजनक कार्य और/अथवा आचरण के आधार पर, समाप्त करने की शिक्ति नियुक्ति प्राधिकार को होगी।
- 12. आरक्षण I बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991, (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन यथोपबंधित केवल सीधी नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो, अति पिछड़े वर्गों के सदस्यों, महिला और शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण होगा।
- **13. वरीयता ।** (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के बीच आपसी वरीयता मेधासूची में उनकी स्थिति के अनुसार विनिश्चित की जाएगी।
- (ii) उसी संव्यवहार में प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति की दशा में अभ्यर्थी अपनी आपसी वरीयता निम्न संवर्ग में संधारित करेंगे।
- (iii) सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत अभ्यर्थियों के बीच आपसी वरीयता किसी पद पर लगातार कार्य निभाने के आधार पर होगी परंतु एक ही संव्यवहार में प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भर्ती की दशा में प्रोन्नत व्यक्ति वरीय होगा।
- **14. प्रोन्नित ।** (i) कोई भी कर्मचारी अनुसूची 'ग' में यथाविहित केवल संवर्ग के नीचे से ऊपर के पदों पर प्रोन्नित हेतु विचारण का हकदार होगा।

- (ii) चयन अथवा एम०ए०सी०पी० (संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन) द्वारा सभी प्रोन्नित के सभी मामले विचारण के लिए केन्द्रीकृत समिति के समक्ष रखे जाएंगे। केन्द्रीकृत समिति इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर, मार्गदर्शन निर्गत करेगी:
- (iii) प्रोन्नित के विचारण के लिए पात्र किसी कर्मचारी को निम्निलिखित अपेक्षाएँ अवश्य पूरी करनी होंगी यथा –
 - (क) यथाविहित कालाविध पूर्ण करना;
 - (ख) अनुसूची 'क' के अनुसार प्रोन्नित वाले पद संबंधी अर्हता;
 - (ग) स्वच्छ एवं संतोषप्रद सेवा अभिलेख;
 - (घ) समय-समय पर यथाविहित विभागीय/प्रवीणता परीक्षण/साक्षात्कार/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षण में उतीर्णता;
- (iv) (क) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी, रीडर-सह-डिपोजिशन राइटर-सह-टंकक को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नत होने के पूर्व अंग्रेजी में 50 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की दर टंकक परीक्षा के साथ-साथ संचालन समिति द्वारा मानको में उत्तीर्ण होना होगा।
- (ख) उसे प्रैक्टिस एण्ड प्रोस्ड्योर (व्यवहार एवं प्रक्रिया) सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट नियमावली की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा।
- (v) (क) किसी आशुलिपिक को उच्चतर पदों पर प्रोन्नित के लिए अपने मामले के विचारण हेतु आशुलिपिक परीक्षा में अंग्रेजी में 100 शब्द तथा हिन्दी में 70 शब्द प्रति मिनट की दर से उत्तीर्ण होना होगा और उसमें 5 प्रतिशत गलतियाँ स्वीकार की जाएँगी।
- (ख) उसे प्रैक्टिस एण्ड प्रोस्ड्योर मैनुअल एण्ड पेपर्स, उच्च न्यायालय द्वारा यथाविहित, पत्रों की परीक्षा में उतीर्ण होना होगा।
- (vi) ग्रेड-III अथवा किसी समकक्ष पद के लिपिक को, ग्रेड-II में प्रोन्नित के लिए अपने मामले के विचारण के लिए अथवा वित्तीय उन्नयन के लिए अपने मामले के विचारण के लिए उसे निम्निलिखित परीक्षा में उतीर्ण होना होगा:-
 - (i) सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट रूल्स;
 - (ii) प्रारूपण, आदेश फलक एवं पत्राचार की जानकारी;
 - (iii) प्रैक्टिस एण्ड प्रोसड्योर (व्यवहार एवं प्रक्रिया);
 - (iv) (क) एकाउन्टेंसी, केवल लेखा संवर्ग के लिए;
 - (ख) बुक कीपींग।
 - (ग) बजट की तैयारी।
- (vii) ग्रेड-II के लिपिक को, सहायक प्रशासिनक अधिकारी (न्यायिक) और (स्थापना) के पद पर प्रोन्नित/चयन के लिए निम्निखित विषयों की परीक्षा में उतीर्ण होना होगा:-
 - (i) प्रैक्टिस एण्ड प्रोसड्योर;
 - (ii) सरकारी पत्र एवं परिपत्र:
 - (iii) स्टाम्प अधिनियम;
 - (iv) वाद मूल्यांकण अधिनियम;
 - (v) पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण;
 - (vi) कोर्ट फीस अधिनियम।
- (viii) उपर्युक्त परीक्षा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा संचालित की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ प्रक्रिया और पद्धति केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना निर्गत करे विनिश्चित की जाएगी।

15. अनुसूची में यथाविहित समूह 'घ' स्टाफ और अन्य स्टाफ से नियुक्ति ।-

(i) जुनियर कोर्ट असिस्टेंट तथा जुनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर स्वीकृत बल के 25 प्रतिशत पदों के विरूद्ध नियुक्ति के योग्य अभ्यर्थियों के स्क्रीनिंग के लिए वार्षिक परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा द्वारा चयन की जाएगी। केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से, यथाविहित कम्प्यूटर प्रचालन परीक्षा तथा साक्षात्कार संचालित करके वार्षिक परीक्षा के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। ऐसी चयन परीक्षा के आधार पर

संबद्ध वर्ष का 25 प्रतिशत पदों का कोटा के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल केन्द्रीकृत समिति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से तैयार किया जाएगा। ऐसा पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

- (ii) समूह 'घ' स्टाफ से प्रोन्नित द्वारा प्रोसेस सर्वर के पद पर नियुक्ति लिखित परीक्षा, उनके सेवा अभिलेख तथा केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा संचालित साक्षात्कार के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा यथाविहित मेधाक्रम में की जाएगी।
- 16. प्रशिक्षण ।- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा समूह 'घ' पद से परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति को जो 55 वर्ष से कम आयु का हो, उच्च न्यायालय द्वारा पद के लिए यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- **17. कालावधि ।** एक पद से अन्य पद पर प्रोन्नित के लिए उच्च न्यायालय द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित कालावधि होगा।
- 18. स्थानांतरण ।- (i) प्रोसेस सर्वर तथा चालक के पद को छोड़कर समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' संवर्ग के सभी पद राज्य संवर्ग के होंगे और इस प्रकार बिहार में किसी न्यायालय में स्थानांतरण के अधीन होंगे:

परंतु यह कि उच्च न्यायालय की स्थायी सिमिति, यदि उचित समझे, समूह 'ख' और 'ग' के किसी कर्मचारी की सेवा किसी विशिष्ट जिला में अधिकतम सात वर्षों के लिए देने हेतु निदेश दे सकेगी:

परंतु यह और कि स्थायी सिमिति अपने विवेक से प्रशासिनक अत्यावश्यकताओं अथवा लोकहित के मामले में उपर्युक्त सात वर्ष की अविध को कम अथवा विस्तारित कर सकेगी:

परंतु यह और भी कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण कर्मचारी के अनुरोध पर अथवा आपसी स्थानांतरण के मामले में अथवा लोकहित के मामले में अथवा प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के मामले में केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा स्वप्रेरण से अथवा संबंधित जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर भी कर सकेगी:

परंतु यह और भी कि अपने अनुरोध पर ऐसे स्थानांतरित कर्मचारी को जहाँ स्थानांतरित हो वहाँ के संवर्ग में नीचे रखा जाएगा।

19. समूह 'घ' के सभी पद और समूह 'ग' के चालक का पद जिला संवर्गीय पद होंगे और जिला न्यायाधीश, जिले के भीतर आवश्यकतानुसार उनका स्थानांतरण कर सकेंगे:

परंतु यह कि ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण स्थायी सिमिति द्वारा जिला के बाहर भी निम्नलिखित दशा में किया जा सकेगा:-

- (I) जिला न्यायाधीश, कार्य की अत्यावश्यकता में, आवश्यकतानुसार किसी कर्मचारी को किसी कार्य के लिए समुदेशित या पुन: समनुदेशित करने;
 - (II) कर्मचारी के अनुरोध पर;
 - (III) आपसी स्थानांतरण के मामले;
- (IV) लोकहित अथवा प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं में स्वप्रेरणा से अथवा संबंधित जिला न्यायाधीश की अनुशंसा के आधार पर:

परंतु यह और कि जिला संवर्ग का ऐसा कर्मचारी अनुरोध पर अथवा आपसी स्थानांतरण पर स्थानांतरित स्थान पर संवर्ग में नीचे रखा जाएगा किंतु लोकहित में अथवा प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के अधीन स्थानांतरण होने पर पूर्व वरीयता अक्षुण्ण रखी जाएगी।

20. इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व सेवा में पहले से नियुक्त कर्मचारियों का संरक्षण । – सेवा में पहले से नियुक्त व्यक्तित, जो इस नियमावली द्वारा विहित अर्हता पूरा नहीं करते हैं वे पद धारित करते रहेंगे इसके अध्यधीन कि उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित प्रशिक्षण प्रोग्राम में भाग लेना होगा और उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा करने में असफल रहनेवाले व्यक्ति वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ-साथ सभी प्रोन्नित संबंधी लाभों से प्रशिक्षण प्रोग्राम के सफलतापूर्ण पूरा करने तक वंचित रहेंगे:

परंतु यह कि उपर्युक्त शर्ते उन कर्मचारियों पर लागू नही होंगी जिन्होंने इस नियमावली के राजपत्र प्रकाशित होने से पूर्व 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

21. शिथिलीकरण । – केवल पूर्ण न्यायपीठ को, उच्च न्यायालय की स्थायी सिमिति की अनुशंसा पर इस नियमावली में किए गए प्रावधानों में से किसी को त्याग देने अथवा शिथिल करने की शिक्ति उस हद तक तथा उन शर्तो तक होगी जिसे वह किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक विचार करें।

- 22. (i) कठिनाइयों के निराकरण की शिक्त । इस नियमावली के किसी प्रावधान के क्रियान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो स्थायी सिमिति ऐसे आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, कठिनाइयों का निराकरण कर सकेगी।
- (ii) फिर भी इस नियम के अधीन दिये गये आदेश को यथासंभव शीघ्र पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
- 23. निरसन एवं व्यावृति ।- (i) बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी (वर्ग 3 एवं वर्ग 4) नियमावली, 1998, बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी (वर्ग 3 एवं वर्ग 4) (संशोधन) नियमावली, 2001 तथा बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी (वर्ग 3 एवं वर्ग 4) नियमावली, 2009 एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमाविलयों के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।
- **24. व्याख्या ।** इस नियमावली के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन से संबंधित कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो स्थायी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(सं0 बी0/स्था0(व्या0न्या0)-07-01/2016/2709/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

अनुसूची—क सिविल कोर्ट की स्थापना (भर्ती की पद्धति आय और अर्हता)

	Т			ना का पद्धात, आयु उ			
क्र0	पद का नाम	समृह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नित के
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
1.	मुख्य प्रशासनिक	क	राष्ट्रीय न्यायिक	प्रशासनिक अधिकारी		किसी भी विधा विशेष	1. केन्द्रीकृत समिति
	अधिकारी-सह-क		वेतनमान	के बीच से, जिन्हें		में मान्यता प्राप्त	2. महानिबंधक
	ोर्ट मैनेजर		आयोग की	कम से कम 2 वर्ष		विश्वविद्यालय से	3. राज्य संवर्ग
			अनुशंसा के	का अनुभव हो या		स्नातक की डिग्री के	4. योग्यता
			अनुसार अथवा	सहायक प्रशाखा		साथ कम्प्युटर उपयोजन	(साक्षात्कार) द्वारा
			राज्य सरकार	प्रशासनिक अधिकारी		में प्रवीणता वांछनीय	चयन
			के अनुसार,	(न्यायिक या		प्रोन्नति;	
			जैसा कि राज्य	स्थापना) या लेखा		प्रोन्नित के लिए वित्तीय	
			सरकार दोनों	अधिकारी या प्रोग्राम		प्रशासन/मानव संसाधन	
			स्थितियों में	ऑफिसर जिन्हें 5		का ज्ञान	
			अधिसूचित	वर्ष का अनुभव			
			करें।	प्राप्त हो में से मेधा			
				या साक्षात्कार के			
				आधार पर चयन।			

क्र0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नित के
सं0		6.	ग्रेड वेतन	-	•	-	लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
2.	प्रशासनिक	ख		सहायक प्रशासनिक		सीधी भर्ती के लिए	I. केन्द्रीकृत समिति
	आध्कारी			अधिकारी (न्यायिक)		विधि स्नातक के साथ	II. महानिबंधक
	(न्यायिक)-			के बीच से मेधा		बी0बी0ए0 की डिग्री।	III. राज्य संवर्ग
	सह-जिला एवं			सह वरीयता के		प्रोन्नति के लिए किसी	IV. लिखित
	सत्र न्यायाधीश			आधार पर जिन्हें		भी विधा विशेष में	परीक्षा/साक्षात्कार
	का सिरेस्तेदार			03 वर्षो का		मान्यता प्राप्त	द्वारा चयन
				अनुभव प्राप्त हो,		विश्वविद्यालय से	3
				साक्षात्कार के		स्नातक डिग्री वांक्षनीय	
				आधार पर अथवा		- कम्प्यॅटर उपयोजन में	
				सीधी भर्ती से चयन		प्रवीणता और वित्तीय	
						प्रशासन की जानकारी।	
3.	सहायक	ख		कम से कम तीन		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	प्रशासनिक			वर्षो तक 4600		प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	अधिकारी			रूपये के ग्रेड पे		किसी भी विधा विशेष	III. राज्य संवर्ग
	(न्यायिक)-			धारित करने वाले		में स्नातक की डिग्री	IV. सीमित
	सह-सिरेस्तेदार			सभी कर्मचारियों के		के साथ कम्प्यूटर मे	परीक्षा/साक्षात्कार
				बीच से केन्द्रीकृत		प्रवीणता।	(द्वारा योग्यता
				समिति द्वारा परीक्षा			पर चयन)
				के साथ-साथ			
				साक्षात्कार आयोजित			
				कर मेधा सह			
				वरीयता के आधार			
				पर चयन			
4.	सहायक	ख	राष्ट्रीय न्यायिक	तीन वर्षो तक		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	प्रशासनिक		वेतनमान	4600 रूपये ग्रेड पे		प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	अधिकारी /\		आयोग की	में अनुभव रखने		किसी भी विधा विशेष	III. राज्य संवर्ग
	(नजारत)		अनुशंसा के	वाले प्रोटोकॉल		में स्नातक की डिग्री	IV. (साक्षात्कार)
	जिला नाजीर		अनुसार अथवा राज्य सरकार	(नयाचार) अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक		के साथ कम्प्यूटर मे प्रवीणता।	द्वारा चयन
			राज्य सरकार के अनुसार,	और वरीय कार्यालय		પ્રવાગતા।	
			क अनुसार, जैसा कि राज्य				
			सरकार दोनों	कोर्ट सहायक से			
			स्थितियों में	साक्षात्कार के			
			अधिसूचित	आधार पर चयन			
			करें।	द्वारा।			
5.	लेखा पदाधिकारी	ख		4600/- ग्रेड पे में		पाँच वर्षों के अनुभव	I. केन्द्रीकत समिति
		_		पाँच वर्षो का		के साथ बजट तैयारी	
				अनुभव रखने वाले		और कैश (नगद) की	
				लेखापाल में से		पर्याप्त जानकारी रखने	IV. (साक्षात्कार)
				मेधा सह वरीयता		वाले वाणिज्य स्नातक	द्वारा चयन
				के आधार पर		अथवा	CALSE T. I. I.
				चयन।		2) राज्य सरकार या	
						किसी पब्लिक सेक्टर	
						उपक्रम से प्रतिनियुक्ति	
						द्वारा।	
		1					

東 0	पद का नाम	TITE .	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	भाग	अर्हता	 I. भर्ती∕प्रोन्नति के
_	यथ यग गाम	समूह		नता का बद्धात	आयु	अहसा	
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
6.	सहायक	ख		कम से कम तीन	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के लिए	I. केन्द्रीकृत समिति
	प्रशासनिक			वर्षो का अनुभव	के लिए	(1) मान्यता प्राप्त	II. महानिबंधक
	अधिकारी			रखने वाले कार्यालय	न्यूनतम आयु	विश्वविद्यालय से	III. राज्य संवर्ग
	(स्थापना)			अधीक्षक, वरीय	25 वर्ष एवं	नियमित पाठ्यक्रम में	IV. (साक्षात्कार∕
	,			कार्यालय सहायक	अधिकतम 35	एम0बी0ए0 (एच0आर0)	लिखित परीक्षा+
				या वरीय कोर्ट	वर्ष	कार्यालय प्रबंधन में 5	साक्षात्कार) के द्वारा
				सहायक के बीच से		वर्ष के अनुभव के	चयन
				केन्द्रीकृत समिति		साथ कम्प्यूटर पर कार्य	चयन
				द्वारा संचालित होने		की जानकारी	
				वाले साक्षात्कार के		विधि स्नातकों को	
				आधार पर चयन		प्राथमिकता दी जायेगी	
				होने पर अथवा		प्रोन्नति के लिए	
				उपर्युक्त अभ्यर्थियों		(2) किसी भी विद्या	
				की अनुपलब्धता की		विशेष में स्नातक की	
						डिग्री	
				दशा में केन्द्रीकृत समिति सीधी भर्त्ती		ารมา	
				के लिए परीक्षा और			
				साक्षात्कार आयोजित			
				कर सकेगी।	-2-2 2		x ->-2 - cc
7.	प्रोग्राम	ख		सात वर्षों का	सीधी भर्ती	किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	ऑफिसर-सह-सि			अनुभव रखने वाले	के लिए	प्राप्त विश्वविद्यालय से ———	II. महानिबंधक
	नियर प्रोग्रामर			प्रोग्रामर के पद से	न्यूनतम आयु	कम्प्यूटर	III. राज्य संवर्ग
				मेधा सह वरीयता	25 वर्ष एवं	इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर	IV. (লিखিत
				के आधार पर चयन	अधिकतम 35	विज्ञान/कम्प्यूटर	परीक्षा/कम्प्यूटर
				अथवा उस पद पर	वर्ष	प्राधोगिकी में स्नातक	दक्षता
				सीधी भर्ती द्वारा		की डिग्री/डिप्लोमा के	परीक्षा/साक्षात्कार)
				उपर्युक्त व्यक्तियों		साथ कम से कम 5	के द्वारा चयन
				के नहीं पाए जाने		वर्ष का इस क्षेत्र में	
				पर।		अनुभव।	
8.	सहायक	ख	राष्ट्रीय न्यायिक	कम से कम तीन		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	प्रशासनिक		वेतनमान	वर्षों का पद पर		प्राप्त विश्वविद्यालय से	Ⅱ. महानिबंधक
	पदाधिकारी		आयोग की	अनुभव रखने वाले		किसी भी विद्या विशेष	III. राज्यस्तरीय
	(गोपनीय)		अनुशंसा के	जिला न्यायाधीश के		में स्नातक की डिग्री।	IV. (साक्षात्कार)
			अनुसार अथवा	स्टेनांग्राफर ग्रेड-I			के द्वारा चयन
			राज्य सरकार	और जिला			
			के अनुसार,	न्यायाधीश के निजी			
			जैसा कि राज्य	सहायक जो			
			सरकार दोनों	4600/- ग्रेड पे			
			स्थितियों में	धारण करते हों, के			
			अधिसूचित	बीच से उपयुक्तता			
			करें।	परीक्षा के आधार			
				पर चयन होने पर			
L			1		1		

क्र0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नित के
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
9.	निजी सहायक	ख		स्टेनोग्राफर ग्रेड-II		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	जिला न्यायाधीश एवं प्रधान			के पद से पूर्ण रूप से जिला न्यायाधीश		प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विधा विशेष	II. जिला
	एव प्रवान न्यायाधीश			स ।जला न्यायाधाश के अनुमोदन के		में स्नातक की डिग्री।	न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश की
	414141			आधार पर चयन		1 (11(17) 17) 10 711	द्रवान न्यायायारा का इच्छानुसार
							ξ ·Ο(<u>]</u> (,,, (
10.	कार्यालय	ख		सहायक/लिपिक जो		किसी भी मान्यता	I. महानिबंधक
10.	अधीक्षक	<u> </u>		ग्रेड वेतन 4200 में		प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. राज्य संवर्ग
				हो उनमें से चयन		किसी भी विधा विशेष	III. (साक्षात्कार)
						में स्नातक की डिग्री।	के द्वारा चयन
							3
11.	वरीय कोर्ट	ग		कर्लक ग्रेड-II जो		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	सहायक और			ग्रेड वेतन 4200 में		प्राप्त विश्वविद्यालय से	Ⅱ. महानिबंधक
	वरीय कार्यालय			5 वर्षो की सेवा		किसी भी विधा विशेष	III. राज्य संवर्ग
	सहायक			पूर्ण कर लिये हो		में स्नातक की डिग्री।	IV. प्रोन्नति
				में से प्रोन्नति द्वारा			
12.	प्रोग्रामर	ग		सहायक प्रोग्रामर			I. केन्द्रीकृत समिति
				जिन्हें 7 वर्ष का			II. महानिबंधक
				अनुभव प्राप्त हो में			III. राज्यस्तरीय
				से प्रोन्नित द्वारा केन्द्रीकृत समिति के			IV. प्रोन्नति
				अनुशंसा पर			
13.	सहायक प्रोग्रामर	ग	राष्ट्रीय न्यायिक	(1) 25 प्रतिशत	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के लिए	I. केन्द्रीकृत समिति
			वेतनमान	कम्प्यूटर सहायक	के लिए	किसी मान्यता प्राप्त	II. महानिबंधक
			आयोग की	जिन्हें 5 वर्ष का	न्यूनतम आयु	विश्वविद्यालय से	III. राज्य संवर्ग
			अनुशंसा के	कार्यानुभव प्राप्त हो	25 वर्ष एवं	कम्प्यूटर उपयोजन/	IV. प्रोन्नति/परीक्षा
			अनुसार अथवा	में से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार	कम्प्यूटर विज्ञान या	द्वारा सीधी भर्ती
			राज्य सरकार	(2) 75 प्रतिशत	द्वारा समकक्ष	इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड	अन्य परीक्षण एवं
			के अनुसार, नैपा कि सन्त	सीधी भर्ती द्वारा	पदों के लिए	कम्यूनिकेशन में	साक्षात्कार जैसा कि
			जैसा कि राज्य सरकार दोनों		यथाविहित अधिकतम	डिप्लोमा के साथ अथवा स्टेट काउंसिल	केन्द्रीकृत समिति
			सरकार दाना स्थितियों में		आयु। आयु।	अथवा स्टट काउासल ऑफ टेकनिकल	द्वारा उचित समझा
			अधिसूचित		21131	एडूकेशन द्वारा संचालित	जाय।
			करें।			डी०ओ०इ०ए०सी०सी०	
						प्रोग्राम के अधीन	
						डिप्लोमा स्तर या	
						कम्प्यूटर उपयोजन में	
						स्नाकोत्तर डिप्लोमा	
						अथवा तीन वर्षों के	
						अनुभव के 60 प्रतिशत	
						अंको के साथ एम0सी0ए0 स्नातक	
						एम0सी0ए0 स्नातक अथवा समकक्ष।	
						जयपा समकदा।	

_=				(3)(1)(4)(4)(7)	*		
क्र0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नित के
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
14.	जनसंपर्क	ख		पुस्तकालयाध्यक्ष या			I. केन्द्रीकृत समिति
14.	जनसम्क अधिकारी-सह-	ч		प्रोग्रामर या			-
							II. महानिबंधक
	सूचना अधिकारी						III. राज्य संवर्ग
				जिन्होने उक्त पदों			IV. (सक्षात्कार)
				पर 3 वर्ष की सेवा			द्वारा चयनित
				पूरी कर ली है, के			
				बीच से चयनित			
				होने पर			
15.	पुस्तकालयाध्यक्ष	ग		सहायक			I. केन्द्रीकृत समिति
				पुस्तकालयाध्यक्ष			II. महानिबंधक
				- जिन्होनें 5 वर्ष की			III. राज्य संवर्ग
				सेवा पूरी कर ली			IV. (प्रोन्नति) द्वारा
				हो, के बीच से			चयनित
				प्रोन्नित द्वारा चयन			4 11 13
				होने पर			
16.	सहायक	ग	राष्ट्रीय न्यायिक	पुस्तकालय सहायक	सीधी भर्ती	(1) किसी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
10.	पुस्तकालयाध्यक <u>्ष</u>	"1	वेतनमान	के पद से प्रोन्नति	के लिए	प्राप्त विश्वविद्यालय से	1. कन्द्राकृत सामात II. महानिबंधक
	नुस्ताकाराजाञ् <u>य</u> दा		आयोग की	होने पर		पुस्तकालय विज्ञान में	
			आवारा का अनुशंसा के	61.1 47	न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं	डिग्री या डिप्लोमा	III. राज्य संवर्ग
			अनुसार अथवा अनुसार अथवा				IV. सेधी भर्ती
			राज्य सरकार		राज्य सरकार	<u>`</u>	(लिखित परीक्षा एवं
					द्वारा समकक्ष पदों के लिए		साक्षात्कार)
			के अनुसार,		-	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	
			जैसा कि राज्य		यथाविहित	में समकक्ष पदों पर 2	
			सरकार दोनों		अधिकतम	वर्षो का अनुभव	
			स्थितियों में		आयु।	(3) कम्प्यूटर की	
			अधिसूचित —े	2 2 4		जानकारी आवश्यक है।	~) 0
17.	पुस्तकालय	ग	करें।	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	(1) किसी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	सहायक				के लिए	प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
					न्यूनतम आयु	पुस्तकालय विज्ञान में	III. राज्य संवर्ग
					25 वर्ष एवं	डिग्री या डिप्लोमा	IV. सीधी भर्ती
					राज्य सरकार	(2) सरकारी या	(लिखित परीक्षा एवं
					द्वारा समकक्ष	विश्वविद्यालय या	साक्षात्कार)
					पदों के लिए	पब्लिक सेक्टर में	
					यथाविहित	समकक्ष पदों पर 2	
					अधिकतम	वर्षो का अनुभव	
					आयु।	(3) कम्प्यूटर की	
						जानकारी आवश्यक है।	

क्र0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नति के
सं0		6.	ग्रेड वेतन		3		लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
18.	लेखापाल	ग		सहायक लेखापाल			I. केन्द्रीकृत समिति
				जिन्हें 5 वर्षों का			II. महानिबंधक
				अनुभव प्राप्त हो के			III. राज्य संवर्ग
				बीच से			IV. प्रोन्नति
				मेधा-सह-वरीयता के			
				आधार पर प्रोन्नति			
				द्वारा			
19.	सहायक	ग		(1) 50 प्रतिशत	सीधी भर्ती	बी0कॉम0 के साथ	I. केन्द्रीकृत समिति
	लेखापाल			सीधी भर्ती	के लिए	बजट, अंकेक्षण एवं	II. महानिबंधक
				(2) 50 प्रतिशत	न्यूनतम आयु	रोकडबही एवं पंजी	III. राज्य संवर्ग
				लेखा सहायक से	24 वर्ष एवं	संधारण का पर्याप्त	IV. प्रोन्नति∕सीधी
				प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार	ज्ञान तथा उस क्षेत्र में	भर्ती (लिखित परीक्षा
					द्वारा समकक्ष पदों के लिए	5 वर्षों का अनुभव में ज्ञान की कम्प्यूटर की	एवं साक्षात्कार)
					यथाविहित यथाविहित	जानकारी आवश्यक है।	
					अधिकतम	जानगरा जायरपद्म हा	
					आयु।		
20.	लेखा	ग		सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	बी0कॉम0 के साथ 2	I. केन्द्रीकृत समिति
	सहायक-सह-विप				के लिए	वर्षो के साथ नगद	II. महानिबंधक
	র				न्यूनतम आयु	एवं पंजी संधारण का	III. राज्य संवर्ग
	लिपिक-सह-रोक				22 वर्ष एवं	अनुभव। कम्प्यूटर की	IV. प्रोन्नति∕सीधी
	ड्पाल				राज्य सरकार	जानकारी आवश्यक	भर्ती (लिखित परीक्षा
					द्वारा समकक्ष	होगी।	एवं साक्षात्कार)
					पदों के लिए		
					यथाविहित		
					अधिकतम		
				(1)	आयु।	(1)	*) 0
21.	कम्प्यूटर सहायक	ग	राष्ट्रीय न्यायिक	(i) ७५ प्रतिशत	न्यूनतम आयु	(i) कम्प्यूटर/आई0टी0	I. केन्द्रीकृत समिति
			वेतनमान आयोग की	सीधी भर्ती	21 वर्ष एवं अधिकतम	में डिप्लोमा/	II. महानिबंधक
			आयाग का अनुशंसा के	(ii) 25 प्रतिशत		सर्टीफिकेट कोर्स	Ⅲ. राज्य संवर्ग
			अनुरासा क अनुसार अथवा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर में से प्रोन्नति द्वारा	आयु राज्य सरकार द्वारा	(ii) 'ओ0' लेवल सर्टिफिकेट के साथ	IV. लिखित परीक्षा
			राज्य सरकार	न स प्रान्नात द्वारा	सरकार द्वारा समकक्ष पदों	साटाफकट के साथ न्यूनतम 3 वर्ष का	(केन्द्रीकृत सिमिति द्वारा अन्य परीक्षण
			के अनुसार,		पर निर्धारित	न्यूनतम् उ वर्षे का अनुभव वाले डाटा	द्वारा अन्य पराक्षण एवं साक्षात्कार)
			जैसा कि राज्य		आयु।	इन्ट्री ऑपरेटरों को	५५ ताला(कार)
			सरकार दोनों		,	प्राथमिकता दी जाएगी	
22.	डाटा इन्ट्री	ग	स्थितियों में	केन्द्रीकृत चयन	न्यूनतम आयु	-वही-	I. जिला समिति
	ऑपरेटर	•	अधिसूचित	समिति द्वारा	21 वर्ष एवं		II. जिला
			करें।	यथाविहित कौशल	अधिकतम		न्यायाधीश
				परीक्षण एवं अन्य	आयु राज्य		III. जिला संवर्ग
				परीक्षण के आधार	सरकार द्वारा		IV. लिखित परीक्षा
				पर सीधी भर्ती द्वारा	समकक्ष पदों		(केन्द्रीकृत समिति
					पर निर्धारित		द्वारा अन्य परीक्षण
					आयु।		एवं साक्षात्कार)

				(3)(H)(4)(4)),	•		
क्र0	पद का नाम	समृह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती/प्रोन्नित के
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
23.	प्रोटोकॉल	ख		ग्रेड वेतन 4200 में		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	अधिकारी			कार्यरत बेलिफ,		प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
				नायब नाजिर एवं		किसी भी विधा विशेष	III. राज्य संवर्ग
				सहायक जिन्हें		में स्नातक की डिग्री।	IV. चयन
				न्यूनतम 5 वर्ष का			(साक्षात्कार) द्वारा
				अनुभव हो में से चयन होने पर			
24.	कोर्ट	ग		कोर्ट		किसी भी मान्यता	I
24.	काट सहायक-सह-	11		काट सहायक/कार्यालय		प्राप्त विश्वविद्यालय से	I. केन्द्रीकृत सिमितिII. महानिबंधक
	कर्लक-II और			सहायक या क्लर्क		किसी भी विधा विशेष	
	कलक-11 आर कार्यालय			जिन्होने न्यूनतम 5		में स्नातक की डिग्री।	Ⅲ. राज्य संवर्ग
	कापालप सहायक-सह-क			वर्षों की सेवा के		A CHAIN THE ISSUE	IV. प्रोन्नति द्वारा
	र्लक-II			साथ 2400/- रूपये			
	(1) II			ग्रेड पे धारण किया			
				हो, में से प्रोन्नति			
				द्वारा।			
25.	कोर्ट सहायक	ग	राष्ट्रीय न्यायिक	(i) ७५ प्रतिशत	सीधी भर्ती	किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	ओर कार्यालय		वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	के लिए	प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	सहायक या		आयोग की	(ii) 25 प्रतिशत	न्यूनतम आयु	किसी भी विधा विशेष	III. राज्य संवर्ग
	कर्लक ग्रेड-III		अनुशंसा के	बेलिफ, प्रोसेस,	24 वर्ष एवं	में स्नातक की डिग्री।	IV. तथापि प्रथम
	के अन्य पद		अनुसार अथवा	सर्वर, दफ्तरी,	अधिकतम	कम्प्यूटर का ज्ञान	10 वर्षों के लिए
			राज्य सरकार	चालक तथा अन्य	आयु राज्य	आवश्यक होगा।	उन्हे कोई खास
			, के अनुसार,	समूह 'घ' से 1:2	सरकार द्वारा		जिला में सौपा
			जैसा कि राज्य	के अनुपात में	समकक्ष पदों		जाएगा जो जिला
			सरकार दोनों	अपेक्षित अर्हता रखने	पर निर्धारित		न्यायाधीश के
			स्थितियों में	वालों से उदाहरणार्थ	आयु।		नियंत्रण के अधीन
			अधिसूचित ————————————————————————————————————	सीमित परीक्षा द्वारा			होगा।
			करें।	नियुक्ति में तीन			75 प्रतिशति सीधी
				रिक्तियों में से एक			भर्त्ती-लिखित परीक्षा
				प्रोसेस सर्वर दफ्तरी और चालक से और			एवं साक्षात्कार 25
				और चालक स आर दो पद पर तीन			प्रतिशत सीमित परीक्षा एवं
				वर्षो का अनुभव			पराक्षा एव साक्षात्कार के
				रखने वाले समूह			साक्षात्कार क आधार पर।
				'घ' के पदों से			जालार गरा
				भरी जाएगी।			
26.	अन्य लिपिक	ग		जैसा कि उपर		किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	ग्रेड-I, II जैसे			ग्रेड-I एवं II के		प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	विविध लिपिक,			पदों के लिए वर्णित		किसी भी विद्या विशेष	III. राज्य संवर्ग
	स्टेटमेन्ट लिपिक			है।		में स्नातक की डिग्री।	IV. जैसा कि
	एवं अन्य					कम्प्यूटर का ज्ञान	संबंधित ग्रेड के
	लिपिक ग्रेड-II					आवश्यक होगा।	पदों के लिए
							प्रावधानित है
L	1		i.	i	1	l .	i .

				- K - D - C		-	- m() c)
क्र0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नति के
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
27.	स्टेनोग्राफर	ग		कौशल परीक्षण के		(1) किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	ग्रेड-I और			आधार पर		प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	निजी सहायक			योग्यता-सह-वरीयता		किसी भी विधा विशेष	III. राज्य संवर्ग
				के आधार पर चयन		में स्नातक की डिग्री।	IV. चयन
				द्वारा		कम्प्यूटर का ज्ञान	(साक्षात्कार) द्वारा
						आवश्यक होगा।	
						(2) कम्प्यूटर टाइपिंग	
						में प्रवीणता	
						(3) केन्द्र या राज्य	
						सरकार द्वारा जारी	
						आशुलिपिक प्रवीणता	
						प्रमाण पत्र	
						गति: -(क) आशुलिपिक	
						अंग्रेजी में 100 शब्द	
						प्रति मिनट एवं हिन्दी	
						में 70 शब्द प्रति	
						मिनट (केवल 5	
						प्रतिशत त्रुटि मान्य होगी) और	
						हागा) आर (ख) टंकण गति	
						(ख) टकण गात अंग्रेजी में 40 शब्द	
						प्रति मिनट एवं हिन्दी	
						में 30 शब्द प्रति	
						मिनट	
28.	आश्लिपिक	ग		-वही-		-वही-	-वही-
20.	ग्रेड-II			701		701	101
29.	अशुलिपिक	п	राष्ट्रीय न्यायिक	ਸ਼ੀਖ਼ੀ ਖ਼ਰੀ	राज्य सरकार	-वही-	I. केन्द्रीकृत समिति
27.	ग्रेड-III	1	वेतनमान	લાંબા નહા	द्वारा समकक्ष	901	I. कर्प्राकृत सामात II. महानिबंधक
	%9 III		आयोग की		पदों के लिए		III. राज्य संवर्ग
			अनुशंसा के		यथाविहित		m. राज्य सवन (तथापि, वे सात
			अनुसार अथवा		आयु।		(तथा।प, व सात वर्षों के लिए जिला
			राज्य सरकार		··••		न्यायाधीश के
			के अनुसार,				न्यायायारा क नियंत्रण के अधीन
			जैसा कि राज्य				किसी विशिष्ट जिले
			सरकार दोनों				में सौंपे जाएंगे।)
			स्थितियों में				न साम जार्गा <i>)</i> लिखित परीक्षा,
			अधिसूचित				स्अेनोग्राफी परीक्षा,
			करें।				कम्प्यूटर प्रवीणता
							परीक्षा तथा टंकन
							परीक्षा एवं
							साक्षात्कार।
							•

東 0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती/प्रोन्नति के
नं0 सं0	13 40 111	11.70	ग्रेड वेतन	11(11 421 1931(1	5,13	- John	ति: नतार क्रान्तात क्रा लिए प्राधिकार
(10			30 401				II. नियुक्ति
							प्राधिकार प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
30.	कोर्ट रीडर-सह-	ग		सीधी भर्ती	न्यूनतम आयु	किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	डिपोजिसन				21 वर्ष एवं	प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	राइटर-सह-				राज्य सरकार	किसी भी विद्या विशेष	III. राज्य संवर्ग
	टाइपिस्ट				द्वारा वर्ग ग	में स्नातक की डिग्री।	(फिर भी, वे सात
					के पदों कें	अंग्रेजी में टंकण गति	वर्षों के लिए जिला
					लिए	40 शब्द प्रति मिनट	न्यायाधीश के
					यथाविहित	एवं हिन्दी में 30 शब्द	नियंत्रण के अधीन
					अधिकतम	प्रति मिनट	किसी विशिष्ट जिले
					आयु।		में सौंपे जाएंगे।)
							लिखित परीक्षा,
							कम्प्यूटर प्रवीणता
							परीक्षा तथा टंकन
							परीक्षा एवं
							साक्षात्कार।
31.	ग्रेड-III के	ग		सीधी भर्ती	राज्य सरकार	किसी भी मान्यता	I. केन्द्रीकृत समिति
	अन्तर्गत अन्य				द्वारा समकक्ष	प्राप्त विश्वविद्यालय से	II. महानिबंधक
	कर्लक				पदों के लिए	किसी भी विद्या विशेष	III. राज्य संवर्ग
					यथाविहित	में स्नातक की डिग्री।	(तथापि, वे सात
					आयु	कम्प्यूटर का ज्ञान	वर्षों के लिए जिला
						आवश्यक होगा।	न्यायाधीश के
							नियंत्रण के अधीन
							किसी विशिष्ट जिले
							में सौंपे जाएंगे।)
							लिखित परीक्षा,
							कम्प्यूटर प्रवीणता
							परीक्षा तथा टंकन
							परीक्षा एवं
	76-			<u> </u>		4c	साक्षात्कार।
32.	बेलिफ	ग	राष्ट्रीय न्यायिक	प्रोसेस सर्वर में से		मैट्रिक या समतुल्य	I. केन्द्रीकृत समिति
			वेतनमान व्यापेक जी	प्रोन्नति द्वारा			II. जिला
			आयोग की				न्यायाधीश
			अनुशंसा के				III. जिलास्तरीय
			अनुसार अथवा				IV. प्रोन्नति
						l	

क्र0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नति के
सं0		•	ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
33.	प्रोसेस सर्वर	ग	राज्य सरकार	(i) 90 प्रतिशत	न्यूनतम आयु	-वही-	I. सीधी भर्ती के
			के अनुसार,	स्क्रीनिंग टेस्ट एवं	21 वर्ष एवं		लिए केन्द्रीकृत
			जैसा कि राज्य	साक्षात्कार के	राज्य सरकार		समिति और प्रोन्नित
			सरकार दोनों स्थितियों में	आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	द्वारा वर्ग ग के पदों कें		के लिए जिला समिति
			स्थातया म अधिसूचित	=	क पदा क लिए		सामात II. जिला
			जावसूचित करें।	(ii) 10 प्रतिशत समूह घ से प्रोन्नति	यथाविहित		ा. ।जला न्यायाधीश
				द्वारा	अधिकतम		III. जिला संवर्ग
				3. "	आयु।		IV. 90 प्रतिशत
							दफ्तरी, चालक और
							समूह घ के अन्य
							कर्मचारियों के बीच
							से प्रोन्नति द्वारा 10
							प्रतिशत सीधी भर्ती
							द्वारा (स्क्रीनिंग परीक्षा
						3	तथा साक्षात्कार)
34.	चालक	ग		नियमावली में वर्णित	कौशल	वैध ड्राइभिंग लाइसेंस	I. स्क्रीनिंग टेस्ट,
				गाड़ी चलाने और स्क्रीनिंग टेस्ट के	परीक्षण स्क्रीनिंग टेस्ट	(अनुज्ञप्ति) के साथ मैट्रिक या समकक्ष	ड्राइविंग टेस्ट एवं
				आधार पर सीधी	स्क्रानिंग टस्ट के सीधी	योग्यता।	साक्षात्कार के लिए केन्द्रीकृत समिति
				भर्ती द्वारा	भर्ती के लिए	71 7001	प्राप्तापाता II. जिला
				0	न्यूनतम आयु		न्यायाधीश
					21 वर्ष एवं		III. जिला संवर्ग
					राज्य सरकार		IV. जिला समिति
					द्वारा समकक्ष		द्वारा सीधी भर्ती
					पदों के लिए		(स्क्रीनिंग टेस्ट,
					यथाविहित		कौशल परीक्षण एवं
					अधिकतम		साक्षात्कार)
					आयु।		
35.	दफ्तरी	ঘ		दक्षता परीक्षण एवं	सीधी भर्ती	मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में	I. कौशल परीक्षण
55.	7.10(1)	۶ ا		साक्षात्कार के	के लिए	एक वर्ष का अनुभव	1. काशल पराद्वण एवं साक्षात्कार के
				आधार पर सीधी	न्यूनतम आयु	,	लिए केन्द्रीकृत
				भर्ती द्वारा	21 वर्ष एवं		समिति
					राज्य सरकार		II. जिला
					द्वारा समकक्ष		न्यायाधीश
					पदों कें लिए		Ⅲ. जिला संवर्ग
					यथाविहित		IV. सीधी भर्ती
					अधिकतम		
					आयु।		

東 0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नित के
नं0 सं0	14 4/1 114	1176	ग्रेड वेतन	न्ता चन चळ्या	9113	Signi	ा. नतार प्रान्तात क लिए प्राधिकार
(10			70 4111				II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							III. सवन IV. भर्ती की
							पद्धति
26	आदेशपाल	घ	राष्ट्रीय न्यायिक	नियमावली में वर्णित	सीधी भर्ती	मैट्रिक या समतुल्य	पञ्जात I. स्क्रीनिंग टेस्ट के
36.	आपरापाल (सामान्य एवं	9	राष्ट्राय न्यायक वेतनमान	स्क्रीनिंग टेस्ट और	के लिए	योग्यता	ा. स्क्रानिग टस्ट क लिए केन्द्रीकृत
	(सामाःच एव ऑर्दली)		आयोग की	साक्षात्कार के	न्यूनतम आयु	વા વા	ालए कन्द्राकृत समिति एवं
	બાવલા)		आयाग यम अनुशंसा के	आधार पर सीधी	21 वर्ष एवं		साक्षात एव साक्षात्कार के लिए
			अनुसार अथवा	भर्ती द्वारा	राज्य सरकार		जिला समिति
			राज्य सरकार	1/11 81/1	के समकक्ष		II. जिला
			के अनुसार,		पदों कें लिए		न्यायाधीश
			जैसा कि राज्य		यथाविहित		III. जिला संवर्ग
			सरकार दोनों		अधिकतम		IV. सीधी भर्ती
			स्थितियों में		आयु।		17. (191 9(1)
			अधिसूचित		9		
			करें।				
37.	फैक्स ऑपरेटर,	घ		नियमावली में	सीधी भर्ती	मान्यता प्राप्त संस्थान	I. दक्षता परीक्षण
	जेनरेटर ऑपरेटर			यथाविहित कौशल	के लिए	से संबंधित क्षेत्र में	के लिए केन्द्रीकृत
	-सह-			परीक्षण और	न्यूनतम आयु	आई0टी0आई0	समिति एवं
	इलेक्ट्रीशयन,			साक्षात्कार के	21 वर्ष एवं		साक्षात्कार के लिए
	फोटो मशीन			आधार पर सीधी	राज्य सरकार		जिला समिति
	ऑपरेटर और			भर्ती।	के समकक्ष		II. जिला
	ट्रेजरी मैसेन्जर				पदों कें लिए		न्यायाधीश
					यथाविहित		III. जिला संवर्ग
					अधिकतम		IV. सीधी भर्ती
20				कौशल	आयु। सीधी भर्ती		T
38.	माली, फर्रास और स्वीपर	घ				संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष	I. दक्षता परीक्षण
	आर स्वापर			परीक्षण/उपयुक्तता/ साक्षात्कार/आउट	•	का अनुभव के साथ साक्षर।	के लिए केन्द्रीकृत समिति एवं
				सांसिंग के आधार	न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं	सादारा	·
				पर सीधी भर्ती।	राज्य सरकार		साक्षात्कार के लिए जिला समिति
				ार साथा नता।	राज्य सरकार के समकक्ष		ाजला सामात II. जिला
					पदों कें लिए		ा. ।जला न्यायाधीश
					यथाविहित यथाविहित		न्यायावारा III. जिला संवर्ग
					अधिकतम		III. ।जला सवग IV. सीधी
					आयु।		1V. साथा भर्ती/आउट सोर्सिंग
					9		ातार आउट सारान

東 0	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं	भर्ती की पद्धति	आयु	अर्हता	I. भर्ती∕प्रोन्नित के
सं0			ग्रेड वेतन				लिए प्राधिकार
							II. नियुक्ति
							प्राधिकार
							III. सवंर्ग
							IV. भर्ती की
							पद्धति
39.	नाईट गार्ड	घ		उपयुक्तता एवं	सीधी भर्ती	मैट्रिक एवं समकक्ष	I. स्क्रीनिंग परीक्षण
				साक्षात्कार के लिए	के लिए	अर्हता के साथ	के लिए केन्द्रीकृत
				स्क्रींनिंग टेस्ट के	न्यूनतम आयु	संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष	समिति एवं
				आधार पर सीधी	21 वर्ष एवं	का अनुभव। होम गार्ड	साक्षात्कार के लिए
				भर्ती।	राज्य सरकार	(गृह रक्षक) अथवा	जिला समिति
					के समकक्ष	किसी प्रतिष्ठित सुरक्षा	II. जिला
					पदों कें लिए	एंजेंसी के अभ्यर्थियों	न्यायाधीश
					यथाविहित	को प्राथमिकता दी	III. जिला संवर्ग
					अधिकतम	जाएगी।	IV. सीधी
					आयु।		भर्ती/आउट सोर्सिंग

अनुसूची-ख बिहार के सिविल एवं अनुमंडल न्यायालय का स्टाफिंग पैर्टन परिशिष्ट-क

जिला एवं सत्र न्यायालय

क्र0 सं0	न्यायालय का	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
	नाम				
1	2	3	4	5	6
1.	जिला एवं सत्र न्यायालय	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह जिला न्यायाधीश सिरेस्तेदार	ख	1	5400
		वरीय कोर्ट सहायक सह कलर्क (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		वरीय कार्यालय सहायक सह कलर्क (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		सत्र सहायक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		वाद सहायक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		विविध सहायक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		स्टेटमेन्ट सहायक (ग्रेड-II)	ग	2	4200
		निजी सहायक (ग्रेड- I)	ग	1	4200
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड-I) आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	(1+2) 3	4600 और 4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	5	1800
2.	प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (गेड-I) (समूह-ख)	ख	1	4800
		वरीय कोर्ट्स सहायक सह बी0सी0 (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		वरीय कोर्ट्स सहायक सह ओ0सी0 (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		विविध सहायक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		नीजि सहायक (ग्रेड-I) आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	(1+1) 2	4200 और 4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		सहायक लेखापाल (कार्यालय के प्रयोजनार्थ) (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		लेखा सहायक सह बिल कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	3	1800
3.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-l	वरीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		वरीय कोर्ट सहायक सह ओ0सी0 (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
4.	विशोष न्यायालय (प्रत्येक)	वरीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4600
		वरीय कोर्ट सहायक सह ओ०सी० ग्रेड-I	ग	1	4600
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड- I)	ग	1	4600

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
5.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	वरीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4600
	(प्रत्येक कोर्ट)/अपर प्रधान	वरीय कोर्ट सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	4600
	न्यायाधीश	वरीय आशुलिपिक (ग्रेड- I)	ग	1	4600
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
6.	तदर्थ अपर जिला एवं सत्र	कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
	न्यायाधीश (प्रत्येक पद)	कोर्ट्स सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
7.	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अवर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (समूह-ख)	ख	1	4800
	न्यायाधीश- सह सहायक सत्र	वरीय कोर्ट सहायक (I/.cG.R) ग्रेड-I	ग	1	4600
	न्यायाधीश- 	वरीय न्यायिक सहायक सह शिकायत कलर्क (ग्रेड- ।)	ग	1	4600
		कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	2	4200
		कार्यालय सहायक सह ओ०सी० ग्रेड-	ग	2	4200
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1+1	4600
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
8.	अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (गेड-I) (समूह-ख)	ख	1	4800
	अवर न्यायाधीश प्रथम सह	कोर्ट सहायक सह वाद कलर्क (गेड-II)	ग	1	4200
	सहायक सत्र न्यायालय-	कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	2	4200
		कार्यालय सहायक सह ओ०सी० ग्रेड-II	ग	2	4200
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1+1	4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	ঘ	2	1800
9.	अवर न्यायाधीश (प्रत्येक न्यायालय)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (समूह-ख)	ख	 (सभी अवर न्यायाधीश न्यायालय के लिए) 	4800
		कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
		कार्यालय सहायक सह ओ०सी० ग्रेड-II	ग	1	4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1	2800
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	ঘ	2	1800
10.	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी/रेलवे	कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
	दंडाधिकारी	कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-III	ग	2	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
11.	मुंसिफ/एकजीयूशन मुंसिफ (प्रत्येक)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (गेड-I) (समूह-ख)	ख	1 (केवल मुंसिफ के लिए)	4800
		कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
		कार्यालय सहायक सह ओ०सी० ग्रेड-II	ग	1	4200
		विविध कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2+1 (केवल मुंसिफ के लिए)	1800
12.	प्रभारी न्यायाधीश सह अपर मुंसिफ	कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-II	ग	1	4200
		कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-III	ग	1	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
13.	न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम	कनीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
	श्रेणी सह अपर मुंसिफ (प्रत्येक न्यायालय)	कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
	, પ્યાપાણમ <i>)</i>	कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
14.	न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी	कनीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-III	ग	1	2400
		कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-III	ग	1	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800

क्र0 सं0	न्यायालय का	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
	नाम				
1	2	3	4	5	6
15.	रिक्त न्यायालय (यदि तीन वर्ष से रिक्त हो)	कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
		चपरासी/अर्दली	ঘ	2	1800

परिशिष्ट-ख

स्थापना

क्र0 सं0	न्यायालय का	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
	नाम				
1	2	3	4	5	6
1.	प्रशासन प्रभारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सह कोर्ट मैनेजर	क	1	6600
2.	अंग्रेजी कार्यालय	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)	ख	1	4800
		सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना) (ग्रुप-ख)	ख	1	4800
		कार्यालय अधीक्षक	ख	1	4600
		कार्यालय सहायक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		हिंदी टंकक सह कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		अंग्रेजी टंकक सह कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		चपरासी	घ	3 (फैक्स ऑपरेटर सहित)	1800
3.	नजारत	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (नजारत) (ग्रुप-ख)	ख	1	4800
		प्रोटोकॉल अधिकारी (ग्रेड-I)	ग	1	4200
		नायब नजीर (ग्रेड-II)	ग	2	4200
		बेलीफ (ग्रेड-III)	ग	3	2400
		डिस्पेचर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		लेखा सहायक सह रोकड़िया (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		प्रोसेस सर्वर	ग	1 (प्रत्येक न्यायालय के लिए)	1900
		दफ्तरी	ग	1	1800
		चपरासी	घ	3 (1 जेनरेटर ऑपरेटर सहित)	1800
		चपरासी (नाईट गार्ड)	ঘ	2**	1800

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
4.	कम्प्यूटर कोषांग	प्रोग्राम ऑफिसर-सह-वरीय प्रोग्रामर (समूह-ख)	ख	1	4800
		प्रोग्रामर (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		सहायक प्रोग्रामर (ग्रेड-II)	ग	3	4200
		कम्प्यूटर सहायक सह सिस्टम ऑफिसर (ग्रेड-III)	ग	3	2800
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह सिस्टम सहायक	ग	8*	1900
5.	लेखा	लेखाधिकारी (समूह-ख)	ख	1*	4800
		लेखापाल (ग्रेंड-I)	ग	1*	4600
		सहायक लेखापाल (ग्रेंड-II)	ग	2*	4200
		लेखा सहायक सह बिल कलर्क (ग्रेड-III)	ग	3*	2400
		रोकड्पाल	ग	1	2400
		चपरासी	घ	2 (ट्रेजरी मैसेंजर सहित)	1800
6,	पुस्तकालय	जन संपर्क पदाधिकारी सह सूचना अधिकारी	ख	1	4800
		पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड-II)	ग	1	4600
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड-III)	ग	2	4200
		पुस्तकालय सहायक	ग	4	2400
		चपरासी	घ	2	1800
7.	फार्मस एवं स्टेशनरी	प्रभारी कलर्क (ग्रेड-II)	ग	1	4200
	VOCT TO	कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		चपरासी	घ	2	1800
8.	प्रतिलिपि	प्रधान प्रतिलिपि कलर्क (ग्रेड-I)	ख	1	4800
		सी0सी0+कॉपिस्ट (ग्रेड-II &ग्रेड-III)	ग	3	4200 और 2400
		चपरासी	घ	2	1800
9.	रेकार्ड रूम	हेड रेकार्ड कीपर (ग्रेड-I)	ख	1	4800
		सहायक रेकार्ड कीपर (ग्रेड-III)	ग	2	2400
		दफ्तरी	ग	2	1800
		चपरासी	घ	2	1800

परिशिष्ट-ग अनुमंडलीय न्यायालय के लिए अतिरिक्त समूह-ख, समूह-ग एवं समूह-घ के पदों की आवश्यकता।

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	अपर जिला न्यायाधीश	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (समूह-ख)	ख	1 (केवल अपर जिला न्यायाधीशों के लिए)	4800
		वरीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4600
		वरीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-I	ग	1	4600
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-I)	ग	1	4600
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
2.	अनुमंडलीय न्यायाधीश सह अपर मुख्य	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (समूह-ख)	ख	1+1	4800
	न्यायिक दंडाधिकारी सह	वरीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
	सहायक सत्र न्यायाधीश	वरीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
		विविध कलर्क ग्रेड-	ग	1	4200
		वाद कलर्क ग्रेड-II	ग	1	4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		ड्राइवर	ग	1	1900
		चपरासी/अर्दली	ঘ	3	1800
3.	अवर न्यायाधीश (प्रत्येक न्यायालय)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (समूह-ख)	ख	सभी अवर न्यायाधीश न्यायालय के लिए	4800
		कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-II	ग	1	4200
		कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	4200
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1	2800
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800

क्र0 सं0	न्यायालय का	पद का नाम	समूह	हकदारी	ग्रेड वेतन
	नाम		•		
1	2	3	4	5	6
4.	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार (समूह-ख)	ख	1(जब कोई सहायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नहीं हों)	4800
		कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-II	ग	1	4200
		कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	2	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		चपरासी/अर्दली	ঘ	2	1800
5.	मुंसिफ	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सह सिरेस्तेदार	ख	1	4800
		कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-II	ग	1	4200
		कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-II	ग	1	4200
		विविध कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-II)	ग	1	4200
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
6.	न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम	कनीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
	श्रेणी सह अपर मुंसिफ	कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
		कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800
7.	न्यायिक दंडाधिकारी	कनीय कोर्ट सहायक सह बी0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
	द्वितीय श्रेणी (प्रत्येक	कनीय कार्यालय सहायक सह ओ0सी0 ग्रेड-	ग	1	2400
	न्यायालय)	कोर्ट रीडर सह डिपोजिसन राइटर (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		आशुलिपिक (ग्रेड-III)	ग	1	2400
		चपरासी/अर्दली	घ	2	1800

कार्यालय हेतु

	कायालय हतु					
क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	पद का नाम	समृ्ह	हकदारी	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6	
1.	नजारत	नायब नजीर (ग्रेड-II)	ग	1	4200	
		बेलीफ (ग्रेड-III)	ग	1	2400	
		कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400	
		लेखा सहायक सह रोकडि़या (ग्रेड-III)	ग	1	2400	
		प्रोसेस सर्वर	ग	1	1900	
		दफ्तरी	ग	1 (प्रति न्यायालय)	1800	
		चपरासी	घ	4 (1 जेनरेटर ऑपरेटर एवं 1 फैक्स ऑपरेटर सहित)	1800	
2.	कॉपिंग	कॉपिंग कलर्क (ग्रेड-II)	ग	2	4200	
		चपरासी	ঘ	1	1800	
3.	स्टेशनरी	कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400	
		चपरासी	ঘ	1	1800	
4.	लेखा	लेखापाल (ग्रेंड- I)	ग	1	4200	
		सहायक लेखापाल (ग्रेंड-II)	ग	2	2400	
		चपरासी	घ	2 (ट्रेजरी मैसेंजर सहित)	1800	
5.	रेकार्ड रूम	सहायक रेकार्ड कीपर (ग्रेड-III)	ग	1	2400	
		कलर्क (ग्रेड-III)	ग	1	2400	
		दफ्तरी	ग	1	1800	
		चपरासी	घ	2	1800	
6.	कम्प्यूटर कोषांग	प्रोग्रामर (ग्रेड-I)	ग	1	4600	
		सहायक प्रोग्रामर (ग्रेड-II)	ग	1	4200	
		कम्प्यूटर सहायक (ग्रेड-III)	ग	2	2400	
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह सिस्टम सहायक	ग	4	1900	

नोट—वैसे जिले में जहाँ कोर्ट की संख्या और लंबित मामले कम है;

वहाँ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी तथा लेखा अधिकारी के पद सृजित नहीं भी किए जा सकेंगे।

कॉपिंग क्लर्क/कॉपिस्ट, सहायक रेकर्ड कीपर, सहायक लेखापाल, स्टेशनरी क्लर्क ग्रेड-III, लेखा सहायक-सह-बिल क्लर्क की संख्या, कार्य बोझ होने पर, उच्च नयायालय के अनुमोदन से, जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।


रात्रि प्रहरी के पदों में भवन के आकार के साथ-साथ भवन की संख्या के आधार पर उच्च न्यायालय के अनुमोदन से, जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर, वृद्धि की जा सकेगी।


उच्च न्यायालय के अनुमोदन से, लंबित एवं दायर होने वाली संचिकाओं की संख्या और कोर्ट की संख्या के आधार पर, सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सहायक और डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों में वृद्धि की जा सकेगी।

संचिका के लिए कोर्ट प्रबंधन की दशा में, जहाँ किसी न्यायालय में संचिका की संख्या 1000 से अधिक हो वहाँ तदनुसार एक कनीय कार्यालय सहायक और एक पदचारी बढ़ जाएंगे।

यथास्थिति जिला न्यायालय अथवा अनुमंडल न्यायालय में, एक माह में प्रोसेस तामीला की संख्या 500 से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक अतिरिक्त 500 प्रोसेस के लिए एक अतिरिक्त प्रोसेस सर्वर तदनुसार बढ़ जाएगा।

किसी विशिष्ट न्यायमंडल में माली, फरास, स्वीपर के पद, क्षेत्रफल, कोर्ट की संख्या तथा भवन के अनुसार मंजूर किए जाएंगे।





अनुसूची-घ

प्रोसेस सर्वर एवं समूह ग के अन्य पद के लिये

I. लिखित परीक्षा	अधिकतम 85 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 34 अंक
1. हिंदी	30 अंक	
2. अंग्रेजी	30 अंक	
3. गणित	25 अंक	

नोट- सभी प्रश्न 8वी कक्षा के स्तर के होंगे

II. साक्षात्कार	15 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 5 अंक
1. सामान्य योग्यता	2.5 अंक	(ii) अर्हता 2.5 अंक
2. अनुभव	5 अंक	(iv) कार्य का ज्ञान 5 अंक

समूह 'ग' के ड्राइवर के लिये

I. साक्षात्कार	अधिकतम 40 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 16 अंक
1. हिन्दी, अंग्रेजी और गणित	20 अंक	
2. यातायात चिन्हों का ज्ञान	10 अंक	
3. यातायात के नियमों का ज्ञान	10 अंक	

नोट- सभी प्रश्न 8वी कक्षा के स्तर के होंगे

II. ड्राइविंग	50 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 20 अंक
1. कौशल	30 अंक	
2. मोटर पार्ट्स का पहचान	10 अंक	
3. तकनिकी ज्ञान	10 अंक	

III. साक्षात्कार	10 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 4 अंक
1. सामान्य ज्ञान	2.5 अंक	
2. अर्हता	2.5 अंक	
3. अनुभव	2.5 अंक	
4. कार्य का ज्ञान	2.5 अंक	

दफ्तरी (समूह 'घ') के लिए

I. साक्षात्कार	अधिकतम 45 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 18 अंक
1. हिन्दी	15 अंक	
2. अंग्रेजी	15 अंक	
3. गणित	15 अंक	

II. कौशल परीक्षण	45 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 18 अंक
1. बाईडिंग	15 अंक	
2. चिपकाना	15 अंक	
3. सीलिंग	15 अंक	

III. साक्षात्कार	10 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 4 अंक
1. सामान्य ज्ञान	2.5 अंक	
2. अर्हता	2.5 अंक	
3. अनुभव	2.5 अंक	
4. कार्य का ज्ञान	2.5 अंक	

चपरासी (समूह 'घ') के लिए

I. लिखित परीक्षा	अधिकतम 85 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक
1. हिन्दी	35 अंक	

2. अंग्रेजी	15 अंक	
3. गणित	35 अंक	

नोट- सभी प्रश्न 8वी कक्षा के स्तर के होंगे

III. साक्षात्कार	15 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 6 अंक
1. सामान्य ज्ञान	2.5 अंक	
2. अर्हता	2.5 अंक	
3. अनुभव	5 अंक	
4. कार्य का ज्ञान	5 अंक	

नोट:- वैसे अभ्यर्थी जिन्हें कुिकंग या इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, नाई, पलम्बर या माली के कार्यों का अनुभव हो और जिन्होंने न्यूनतम अर्हतांक नही प्राप्त किया हो, उन्हें 10 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा।

नाइट गार्ड/सिक्यूरिटि गार्ड (समूह 'घ') के लिए

I. लिखित परीक्षा	अधिकतम 85 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 34 अंक
1. हिन्दी	35 अंक	
2. अंग्रेजी	15 अंक	
3. गणित	35 अंक	

नोट- सभी प्रश्न 8वी कक्षा के स्तर के होंगे

II. साक्षात्कार	15 अंक	न्यूनतम अर्हतांक 6 अंक
1. सामान्य ज्ञान	2.5 अंक	
2. अर्हता	2.5 अंक	
3. अनुभव	5 अंक	
4. कार्य का ज्ञान	5 अंक	

नोट:- वैसे अभ्यर्थी जो सिक्यूरिटि सर्विस से हो और जिसने न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं किया है। उसे 10 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा।

अनुसूची-ड.

भर्ती अंतिम समय अनुसूची

वर्ष के 31 दिसम्बर तक रिक्तियों की संख्या

रिक्ति भेजने का तिथि :- वर्ष की 7वी जनवरी

रिक्तियों का प्रोसेसिंग :- वर्ष की 22वी जनवरी

विज्ञापन :- वर्ष की 1 मार्च

आवेदन प्राप्ति की तारीख :- वर्ष की 1 अप्रैल तक

आवेदन की जॉच एवं

प्रवेश पत्र जारी करना :- वर्ष की 1 मई

परीक्षा की तारीख :- वर्ष की 1 जून

परिणाम प्रकशित करने

की तारीख :- वर्ष की 1 जुलाई

सक्षात्कार/कौशल परीक्षण

/ड्राइविंग टेस्ट की तारीख :- वर्ष की 7 जुलाई

अंतिम परिणाम प्रकशित करने

की तारीख :- वर्ष की 22 जुलाई

18 मई 2017

एस0ओ0 58, एस0ओ0 57, दिनांक 23 मई 2017—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल द्वारा बनायी गई बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्त्ती, प्रोन्नित्त, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा-शर्त्ते) नियमावली, 2017 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा:-

(सं0 बी0/स्था0(व्य0 न्या0)-07-01/2016-2709/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

The 18th May 2017

S.O. 57, dated the 23rd May 2017—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of The Constitution of India, The Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the method of recruitment and service conditions of class-III and class-IV employees appointed in The Bihar Civil Courts:-

THE BIHAR CIVIL COURT OFFICERS AND STAFF (RECRUITMENT PROMOTION, TRANSFER AND OTHER SERVICE CONDITIONS) RULES, 2017 CHAPTER - I PRELIMINARY

- 1. **Short title, extent and commencement.- (i)** These Rules may be called "The Bihar Civil Courts Officers and Staffs (Recruitment, Promotion, Transfer and other Service Conditions) Rules, 2017".
- (ii) It shall apply to all the Civil Courts in the State of Bihar, subordinate to the Patna High Court.
- (iii) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette of the Government of Bihar.
 - **2. DEFINITION.-**In these Rules, unless the context otherwise requires.
 - (i) "Appointment" means appointment to the posts of Gazetted Officer (Group 'B'), (Group 'C') and Group 'D' posts either by way of direct recruitment or limited examination or selection by way of promotion and that includes appointment on compassionate ground.
 - (ii) "Appointing Authority" means the Registrar General of High Court of Judicature at Patna.
 - (iii) "Appropriate Cases" means such cases which are specified by the Standing Committee.
 - (iv) "Cadre" means the strength of the service of Officers and Staff sanctioned as a separate unit.
 - (v) "Centralized Committee" means Centralized Selection & Appointment Committee constituted under Rule 6 (i) of these Rules.
 - (vi) "Chief Justice" means the Chief Justice of The High Court of Judicature at Patna.
 - (vii) "Civil Court" means Civil/Criminal Court, subordinate to the Patna High Court.
 - (viii) "District" means the Judicial District established by the Government in consultation with the High court under Code of Criminal Procedure 1973 and Bengal, Agra, Assam Civil Court Act 1887.
 - (ix) "District Judge" means the District and Sessions Judge of the concerned District.
 - (x) "Government" means the Government of Bihar.
 - (xi) "High Court or Patna High Court" shall mean the High Court of Judicature at Patna.
 - (xii) "Officer" means the category of officials included in Group A and Group B of Schedule A.
 - (xiii) "Prescribed" means prescribed by these Rules.
 - (xiv) "Staff" means the employee included in Group C and Group D of Schedule A.
 - (xv) "Staffing Pattern" shall mean all the posts included in Appendix 'A', 'B' and 'C' of the Schedule B.

- (xvi) **"Skill Test"** shall mean the test as prescribed by the Centralised Committee from time to time according to the nature of work.
- (xvii) Any other expression not exclusively defined in this Rule shall be governed by the (as amended from time to time) Patna High Court Rules, 1916.

CHAPTER – II ESTABLISHMENT

- **3**. On and from the date of commencement of these Rules for administration of Civil Court and Sub-Divisional Civil Court, a Bihar State Civil Court Establishment Service shall be constituted.
- **4.** (i) All the cadre shall be State cadre except the posts of Process Server and the posts of Driver in Group 'C' and all the posts of the cadre of Group 'D' as specified in Schedule A, which shall be District Cadre.
- (ii) The persons, who before the commencement of these Rules, having been appointed on regular basis on any post specified in the **Staffing Pattern** to these rules, shall be deemed to have been appointed to the respective cadre of the service in accordance with the provisions of these Rules.

CHAPTER - III

CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT

- **5.** (i) A person to be eligible for appointment on any post as specified in the staffing pattern shall.-
 - (a) Be a citizen of India.
 - (b) Be medically fit.
 - (c) Be a good character
- (d) Be in the age group, possess the essential qualifications and experience as prescribed in Schedule 'B'.
- (ii) If any doubt arises regarding the eligibility of a candidate for appointment, the decision of the Centralised Committee shall be final.

CHAPTER – IV

METHOD OF SELECTION, RECRUITMENT AND METHOD OF APPOINTMENT

- **6.** Constitution of Committee. (i) There shall be a Centralized Committee constituted by the High Court known as 'Centralized Selection and Appointment Committee' for the purpose of making direct appointment or appointment by way of promotion on all posts, consisting of 'three senior-most Judges including one judge of the High Court from the Judicial service' and one Registrar of the High Court, nominated by the Chief Justice.
- (ii) The Registrar General will work as Member Secretary of the Centralized Committee.
- (iii) To assist the Centralized Committee, there shall be a Recruitment Cell consisting of Deputy Registrar and other Officers & Staff, as may be deemed fit and proper by the Centralized Committee from time to time, with the approval of the Chief Justice.
- (iv) Notwithstanding anything contained in the Sub Clause (iii), the Centralized Committee may take the service of any reputed Recruitment Agency for the purpose of written examination, skill test or other purposes.
- 7. (i) The Centralized Committee shall hold examination/limited examination, skill test, screening test etc as prescribed in **Schedule 'A'** of these Rules.
- (ii) The Centralized Committee shall also hold interview and other test as prescribed in Schedule 'A'.

- (iii) The Centralized Committee, for the purpose of interview, may constitute one or more Interview Board for the purpose of conducting interview with approval of the Chief Justice which shall be headed by a Judge of the High Court.
- (iv) Subject to the above provision, the Centralized Committee may nominate group of senior District Judges for conducting interview with respect to filling up the vacancies through selection, especially under Group 'D' posts of staff for selection of the candidates with the prior approval of the Chief Justice.
- **8. METHOD OF SELECTION.-** (i) In the month of January of every year, the District Judge shall determine the existing vacancies as well as the vacancies likely to occur by December of the same year and send the list to the Centralized Committee.
- (ii) The Centralized Committee, after receiving information from all the Judgeships about all the vacant posts available for direct recruitment, shall advertise the vacancy at least in two Daily newspapers one of them being in Hindi having wide circulation in the Districts of Bihar and also on Notice Board of all Civil Courts, Sub-divisional Civil Courts and Collectorate, inviting applications in format as prescribed by the Centralized Committee:

Provided that Centralized Committee, in case of necessity, may advertise the post only for single Judgeship or group of Judgeships.

(iii) **Fees-** Every candidate for direct recruitment to any category of post, may be required to pay such fees, as may be prescribed by Centralized Committee in respect of each post:

Provided that candidate belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Physical Handicapped Categories, is required to pay half of the fee as prescribed for that post.

(iv) The Centralized Committee with prior approval of the Chief Justice, shall also conduct written test, skill test, proficiency test, stenography test and interview as well as other tests as specifically prescribed in Schedule – A, keeping in view the specific nature of work for the posts sought to be filled up by appointment/promotion:

Provided that, if the number of candidates is found to be too large, in order to limit the number of candidates, Centralized Committee may hold preliminary test on the basis of objective type question or any other mode decided by the Centralized Committee.

The Centralized Committee shall select the candidates in the ratio of **1:6 for final** examination.

- (v) Syllabus and other necessary particulars, modes of preliminary and written examination as well as any matter incidental to the conduct of examination shall be as per guidelines to be notified by the High Court, from time to time, with prior approval by the Chief Justice.
- (vi) For appointment on the posts of Process Server in Group 'C' and Group 'D' are concerned, the **Centralized Committee** will conduct written test or any other tests and interview as prescribed in Schedule 'B' and the mode of selection shall be as per **Schedule** 'D'.
- (vii) Once the written examination for the concerned post is complete, the answer books of the candidates shall be sealed and in order to maintain absolute confidentiality with regard to evaluation, the Recruitment Cell before sending the answer books to the examiner shall use process of coding the answer books of the candidates under the personal supervision of Registrar nominated for that purpose or any other senior officer authorized as per direction of the Centralized Committee with prior approval of the Chief Justice.
- (viii) The merit list of the written examination shall be published in website of the Court as well as on the Notice Board of the Court. Wherever applicable, it will be followed by skill test, if necessary.

- (ix) Merit list of the written test and skill test be prepared and candidates be called for interview in the ratio of 1:3 so far as possible.
- (x) Interview shall be conducted by the Committee which shall be headed by a Judge of this Court to be nominated by Centralized Committee with the approval of the Chief Justice:

Provided, if the Centralized Committee thinks it proper, it may nominate two to three senior District Judges with the prior approval of the Chief Justice for conducting the interview.

- (xi) Weightage of 10 marks (**for Group' D'**) posts shall be added in their marks obtained in written test, skill and interview to the person having special knowledge e.g. gardening, cooking, tailoring, carpentary, electronics etc. on their showing certificate of competency in the concerned field.
- (xii) Minimum qualifying marks for all the posts would be fixed at 40%. subject to relaxation of 5% for candidate belonging to reserved category:

Provided the Centralized Committee with the prior approval of Hon'ble the Chief Justice will have power to fix minimum marks to be secured by the candidate in interview for any post.

(xiii) Upon completion of selection process including written test/proficiency test as well as other tests if any and /interview a panel of successful candidates in keeping with reservation policy of the State Government, shall be notified on the basis of its result to be prepared on the norms formulated by the Centralized Committee with prior approval of Hon'ble the Chief Justice. Such panel shall be in two parts, one confined to the total number of posts to be filled up and the other known as "waiting list" of 20 % of such vacancies. Such panel shall have a life of one year from the date of its notification:

Provided that in case if selection procedure is not undertaken in a particular year the life of the panel including (waiting list) may be extended for a further maximum period of one year by the Centralized Committee with prior approval of the Chief Justice.

- (xiv) The candidates of waiting list shall be entitled for appointment only against advertised number of posts and that too when a successful candidate of the first part of the panel on being offered appointment, does not join the post in the prescribed period of time.
- **9.** The Centralized Committee, after notification of the panel with the prior approval of Hon'ble the Chief Justice would recommend the name of the candidates to the Appointing Authority for issuance of appointment letter to the successful candidates.
- 10. JOINING TIME.- (i) A candidate appointed by direct recruitment shall join his /her post on which he/she has been appointed as soon as possible but not later than 30 days from the date of dispatch of appointment letter and/or display of result on the Official High Court Website:

Provided that the Centralized Committee, in case sufficient reasons shown by the candidate may extend the joining time for further 30 days. However, in case a selected candidate fails to join the duty within specified 30 days or extended 30 days, his offer of appointment shall stand cancelled.

- (ii) Prior to joining, the Appointing Authority or any other Officer authorized for that purpose shall verify the following:-
- (a) Original educational and all other certificates of the candidate concerned on the basis of which appointment letter has been issued;
- (b) Photographs, signature and handwriting of the candidate from the application form submitted by him;
- (c) The Secondary School Examination Certificate or its equivalent (for the purpose of recording of date of birth);

(d) Medical fitness certificate:

Provided where such original certificate would require its verification from the concerned institution/ source. Joining of the candidate shall be accepted provisionally and subject to its being found correct, genuine and authentic.

11. PROBATION AND CONFIRMATION.-(i) All appointments by direct recruitment to the permanent posts, shall be on probation for a period of two years from the date of appointment/joining:

Provided that if during the period of probation, a candidate's work and conduct, is found unsatisfactory, the Appointing Authority with the prior approval of the Centralized Committee and the Chief Justice may extend his period of probation for one year and on his work and/or conduct being still found unsatisfactory, even in the extended period of probation, he shall be removed from the service without notice.

- (ii) No person shall be confirmed unless he or she has satisfactorily completed the probation period as prescribed.
- (vii) During the period of probation at any point of time, the appointing authority shall have power to terminate the service of a Probationer on the ground of unsatisfactory work and/or conduct.
- 12. RESERVATION.- There shall be reservation for the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class, Most Backward class, Female and Physically Handicapped persons only for direct appointment as provided under the Bihar (For Reservation of Vacancies in posts and services Schedule Caste & Schedule Tribes and Backward Class) Act 1991, as amended from time to time.
- **13. SENIORITY.-** (i) Inter-se Seniority amongst employees appointed by direct recruitment shall be determined, as per their position in the merit list.
- (ii) In case of appointment by promotion in the same transaction, the candidates will maintain their inter-se seniority in the lower cadre.
- (iii) Inter-se Seniority amongst direct recruit and promoted candidates will be on the continuous officiation, provided in case of recruitment by way of promotion and direct recruitment under the same transaction, the promotee shall rank senior.
- **14 PROMOTION.-** (i) An employee shall be entitled for consideration for promotion only on those cadre posts downward to upward as prescribed in Schedule- C.
- (ii) All the cases of promotion including by way of Selection or Modified Assured Career Progression shall be placed before Centralized Committee for consideration. The Centralized Committee will issue the guidelines for that purpose time to time.
- (iii) An employee for being eligible for consideration of promotion must fulfill the following requirements, namely:-
 - (a) must have completed the period of kalawadhi as prescribed;
 - (b) must have the qualification in respect of promotional post as per Schedule 'A';
 - (c) must have clean and satisfactory records of service;
- (d) must have passed in the departmental/ proficiency test/interview/computer literacy test as prescribed, from time to time.
- (iv) (a) Notwithstanding the above provisions, Reader-cum-Deposition Writer-cum-Typist before his promotion to the higher scale must pass another test of typing, the minimum speed of typing word be 50 words per minute in English and 35 words per minute in Hindi as well as the standard prescribed by the Steering Committee.
- (b) He/she will have to pass the examination of practice and procedure, Civil Court Rules Criminal Court Rules.

- (v) (a) A Stenographer for consideration of his case for promotion on higher post shall have to pass the Test of Shorthand at the rate of 100 words per minutes in English and 70 words per minute in Hindi and 5 % mistakes shall be allowed.
- (b) He shall have to pass the examination on practice and procedure Manual and Papers, as prescribed by the High Court.
- (vi) A Clerk in Grade III or any equivalent post, for consideration of his case for promotion to Grade II or for consideration of his case for Financial progression, shall have to pass an examination in :-
 - (i) Civil Court & Criminal court Rules.
 - (ii) Knowledge of drafting and correspondence an order-sheet.
 - (iii) Practice and Procedure.
 - (iv) (a) Accountancy only for Accounts Cadre.
 - (b) Book keeping
 - (c) Preparation of budget.
 - (vii) A Clerk Grade II for promotion/selection to the post of Assistant Administrative Officer (Judicial) and (Establishment) shall have to pass an examination on -
 - (i) Practice and Procedure.
 - (ii) Government Letter & Circular
 - (iii) Stamp Act
 - (iv) Suit Valuation Act
 - (v) Correspondence, noting & drafting
 - (vi) Court Fee Act
- (viii) Above Examination will be conducted by the Centralized Committee each year and for that purpose procedure and methodology will be decided by the Centralized Committee by way of issuing notification from time to time.

15. APPOINTMENT FROM THE GROUP D STAFFS & OTHER STAFFS

- AS PRESCRIBED IN SCHEDULE. (i) Appointment against 25% posts of the sanctioned strength of Junior Court Assistant and Junior Office Assistant posts shall also be made by way of selection based on annual examination for screening of eligible candidates by conducting written test. Computer operating test and interview as prescribed by the Centralized Committee with prior approval of the Chief Justice, on the basis of result of such selection test, a panel of candidates for the posts of 25% quota of the year shall be prepared by Centralized Committee with the prior approval of the Chief Justice. Such panel shall be valid for one year.
- (ii) For appointment, to the post of Process Server by promotion from Group 'D' Staff will be made on the basis of written test, their Service Record and interview to be conducted by the Centralized Committee in order of merit, as prescribed by the High Court.
- 16. TRAINING.- Every person appointed either by direct recruitment or by recruitment by way of examination from Group 'D' post and is below 55 years of age, shall have to undergo training as specified for that post by the High Court.
- **17. Kalawadhi** For promotion from one post to other, Kalawadhi will be as notified by the High Court from time to time.
- **18**. **TRANSFER.-** (i) All the posts in Cadre of Group-'A', 'B' and 'C' excluding the posts of Process Server and Driver, shall have State cadre and thus amenable to transfer to any Civil Courts in Bihar:

Provided that if the Standing Committee of the High Court thinks it proper, it may direct to place the services of any Group 'B' and 'C' staff for a maximum period of seven years in a particular district:

Provided further that the aforesaid period of seven years may be extended or reduced in case of administrative exigencies or public interest at the discretion of Standing Committee:

Provided further that transfer of an employee may also be made on the request of the employee or in case of mutual transfer, or in case of public interest or in administrative exigencies by the Standing Committee suo motu or on the basis of recommendation of the District Judge concerned. The request for an employee for his/her transfer shall be entertained only after completing a minimum period of three years of initial appointment and not more than on two occasions in his/her entire service:

Provided also that such transferred employee on his or her own request shall be put at the bottom of the cadre at the place where he will be transferred.

19. All posts of Group-D and the post of Driver of Group – C shall be District Cadre posts and District Judge may transfer them, according to need within the District:

Provided that transfer of such employee beyond the district may also be made by the Standing Committee:-

- (I) The District Judge, in exigency of work, assign or re-assign, an employee to any other work as per need;
 - (II) On the request of the employee;
 - (III) In a case of mutual transfer;
- (IV) In case of public interest or in administrative exigencies suo motu or on the basis of recommendation of the District Judge concerned:

Provided further that whereas such an employee of district cadre on transfer on request or mutual transfer shall be put at the bottom of the Cadre at transferred place, but, in the event of transfer for in the public interest or under administrative exigencies the earlier acquired seniority shall be kept intact.

20. PROTECTION TO EMPLOYEES ALREADY IN SERVICE.- Persons already in service, prior to coming in to force of these Rules, who do not hold qualification and other conditions prescribed by these Rules shall continue to hold office subject to condition that they will have to undergo training program and successfully complete the same as prescribed from time to time by the High Court. Persons failing to successfully complete the training program shall be deprived of annual increment as well as all promotional benefits till successful completion of the training program.

Provided that above conditions shall not be applicable to those staff who had completed the age of 55 years on the date of publication of these Rules in the Gazette.

- **21. Relaxation.**-The Full Court alone on the recommendation of Standing Committee of the High Court, shall have power to dispense with or relax the requirements of any of the provision made in these Rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary in any particular case.
- **22.** Power to remove difficulties. (i) If any difficulty arises, in giving effect to the provisions of this Rule, the Standing Committee may, by order not inconsistent with the provisions of this Rule, remove the difficulty.
- (ii) However, order made under this Rule shall be placed as soon as may be after it is made, for its approval before Full Court.
- **23. Repeal and Saving.-** (i) Bihar Civil Court Staff (Class III and Class IV) Rules, 1998, Bihar Civil Courts Staff (Class III and Class IV) (Amendment) Rules, 2001 and Bihar Civil Court Staff (Class III and Class IV) Rules, 2009 Rules are hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under aforesaid Rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Rule,

24. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these Rules, the decision of the Standing Committee shall be final.

(No. B/Stha(Civil Court)-07-01/2016/2709/J)
By order of The Governor of Bihar,
Surendra Prasad Sharma,

Secretary to the Government of Bihar.

SCHEDULE-A ESTABLISHMENT OF CIVIL COURT (Qualification, age and method of recruitment)

Sl.No. Name of Posts Group Qualification I. Authority for Pay Scale & Method Age Grade Pay Recruitment recruitment/promotion II. Appointing Authority III. Cadre IV. Mode of recruitment Chief Selection on the Bachelor's Centralized As per recommendation of National Judicial Pay Commission or State Government as the State Government, in both the cases, may degree in any Administrative basis of Committee merit Officer-cumdiscipline from a from amongst II. Registrar General Court Manager Administrative recognized Officer with University, with III. State Cadre least two years proficiency Computer experience on IV. Selection on merit Application that post or from (interview) Asstt. Desirable: Administrative Knowledge of Officer (Judicial or Financial Establishment) or Administration / from Accounts Human Resource Officer for promotion Programme Officer with at 5 least years experience on that post & on the basis of interview. 2. Administrative В Selection on the Direct Centralized Officer (Judicial)basis of merit-Recruitment: Committee cum-seniority BBA Degree with cum-II. Registrar General D.J.Shristedar amongst Assistant Administrative III. State Cadre For promotion: -Officer (Judicial) Bachelor's having 03 years IV. Selection on merit degree in any experience, on the (Written test discipline from a basis of interview interview) recognized or from direct University. recruitment. Desirable: Proficiency in Computer Application and knowledge of Financial Administration.

				(3)(1) 41(1) / 2	•		
3.	Assistant Administrative Officer (Judicial)- cum- Sheristedar	В		Selection on the basis of merit-cum-seniority by holding examination as well as interview by Centralized Committee from amongst all the employees holding grade pay of Rs.4600/- for at least three years.		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University and proficiency in Computer.	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection on merit (Limited Examination and interview)
4.	Assistant Administrative Officer (Nazarat) District Nazir	В		Selection from the Protocol Officer, Office Superintendent and Sr. Office Assistant and Sr. Court Assistant having experience of three years in grade pay of Rs.4600 on the basis of interview.		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University and proficiency in Computer.	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (interview)
5.	Accounts Officer	В		Selection from Accountant having five years service in Grade Pay of Rs.4600/- on the basis of merit cum seniority. Or. II. On deputation from the State Government or any public sector undertaking.		B.Com and having adequate knowledge of budget preparation and cash with five years experience in Audit and other Financial matters and proficiency in Computer.	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (interview)
6.	Assistant Administrative Officer (Establishment)	В	As per recommendation of National Judicial Pay Commission or State Government as the State Government, in both the cases, may notify	On selection from amongst Office Superintendent, Sr. Office Assistant or Sr. Court Assistant, holding such office at least for 03 years on the basis of interview to be conducted by Centralized Committee Or In case of nonavailability of	Minimum Age 25 Years for Direct Appointm ent Maximum age 35 years	For Direct Recruitment (i) MBA (HR) Regular course from recognized University. Working knowledge of computer with five years experience in Office Management Preference will be given to Law	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (interview/ Written Examination+intervie w)

			1		1	1	
				suitable candidates, Centralized Committee may hold examination and interview for direct recruitment		For promotion (ii) Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	
7.	Programme Officer-cum- Senior Programmer	В		Selection from the post of Programmer having 7 years experience on the basis of merit cum seniority, Or In case, no suitable persons are found, by direct recruitment on this post	Minimum Age 25 years For direct appointm ent Maximum age 35 years	Bachelor degree/ Diploma in Computer Engineering/Com puter Science/Comput er Technology from any recognized university with at least 5 years experience in such field.	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (Written examination / Computer Proficiency test / interview)
8.	Assistant Administrative Officer (Confidential)	В		On Selection from Stenographer Grade I and Personal Assistant of D.J. and P.J. holding a minimum grade pay of Rs.4600 having at least 3 years experience on that post on the basis of suitability test.		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (interview)
9.	Personal Assistant to District Judge and Principal Judge	В		Purely selective post on recommendation of D.J. from amongst Stenographer Grade-II		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	I. Centralized Committee II. Choice of District Judge and Principal Judge
10	Office Superintendent	В		Selection from the amongst Assistant/ Clerk holding Grade Pay of Rs. 4200		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	I. Registrar General II. State Cadre III. Selection (interview)
11.	Senior Court Assistant and SrOffice Assistant	С	As per recommendation of National Judicial Pay Commission or	On Promotion from Clerk Grade II having five years experience in Grade pay of 4200		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre

40		<u> </u>	(असापार्ग), ट	· · · ·		IV. Promotion
						TV. FTOIRIOGOT
12.	Programmer	С	On promotion from the post of Assistant Programmer with seven years experience by Centralized Committee			I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Promotion
13.	Assistant Programmer	С	(i)25% on promotion from Computer Assistant with 5 years experience (ii) 75% direct recruitment	Minimum Age 25 years for direction appointm ent Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equivalen t posts	For Direct recruitment Regular MCA / Graduate with 60% marks with Diploma in Computer Application/ Computer Science or in Electronics and Communication from a recognized University or A level Diploma under DOEACC Programme or Post-Graduate Diploma in Computer Application conducted by State Council of Technical Education or equivalent with 3 years experience	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Promotion/Direct recruitment by examination. Other test & interview as Centralized Committee deemed fit.
14.	Public Relation Officer-cum- Information Officer	В	On Selection from Librarian or Programmer or Protocol Officer having experience of three years on the aforesaid posts			I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (interview)
15.	Librarian	С	On promotion from the post of Assistant Librarian with 5 years experience			I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre
						IV. Selection

							(promotion)
16.	Assistant Librarian	C	vernment, in both the cases, may notify	On promotion from the post of Library Assistant	Minimum Age 25 years and maximum age as prescribe d by the State Governm ent for equivalen t posts.	(i) Degree or Diploma in Library Science from a recognized University (ii) Two years experience in similar type of posts in government or university or public undertaking (iii) Knowledge of Computer is essential	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Direct Recruitment (Written examination & interview)
17	Library Assistant	С	As per recommendation of National Judicial Pay Commission or State Government as the State Government, in both the cases, may notify	Direct recruitment	Minimum Age 25 years and maximum age as prescribe d by the State Governm ent for equivalen t posts.	(i) Degree or Diploma in Library Science from a recognized University (ii) Two years experience in similar type of posts in government or university or public undertaking (iii) Knowledge of Computer is essential	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Direct Recruitment (Written examination & interview)
18.	Accountant	С	As per recommendation of Na	From promotion on the basis of merit cum seniority from the Assistant Accountant with 5 years experience			I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Promotion
19.	Assistant Accountant	С		(i) 50% direct recruitment (ii) 50% on promotion from Accounts Assistant	Minimum Age 24 years for direct recruitme nt and Maximum	B.Com with adequate knowledge of Budget, Audit and maintenance of cash book and register and experience of	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Promotion/Direct

40				(असापारण), ८			
					age as prescribe d by State Governm ent for equivalen t posts	five years in relevant field Knowledge of Computer is essential	Recruitment (Written Examination & Interview)
20.	Accounts Assistant –cum- Bill Clerk-cum- Cashier	С		Direct Recruitment	Minimum Age 22 years Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equiva- lent posts	B.Com with 2 years experience of maintenance of cash and register Knowledge of Computer is essential	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Direct Recruitment (Written Examination & Interview)
21.	Computer Assistant	С	ent as the State Government, in both the cases,	(i) 75% direct recruitment (ii) 25% on promotion from Data Entry Operator	Minimum Age 21 years Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equivalen t posts	(i) Diploma/ Certificate Course in I.T./Computer (ii) Preference will be given to "O" Level Certificate with minimum 3 years experience in Data Entry Operator	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Direct Recruitment (Written Examination, other test as per Centralized committee & Interview)
22.	Data Entry Operator	C	As per recommendation of National Judicial Pay Commission or State Government as the State Government, in both the cases, may notify	By direct recruitment on the basis of Skill Test and other test as prescribed by Centralized Selection Committee	Minimum Age 21 years Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equivalen t posts	-do-	I. District Committee II. District Judge III. District Cadre IV. Direct Recruitment (Written examination, other test as per Centralized committee & interview)
23.	Protocol Officer	В	As per recommendation of Nation	On selection from Ballif, Nayab Nazir and Assistant holding Grade pay of Rs. 4200 with minimum experience of five years on the above posts		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (Interview)

2.4	6	_	l	0		Dealest 2	1.01-1
24.	Court Assistant - cum -Clerk-II and Office Assistant cum Clerk-II	С		On promotion from Court Assistant/ Office Assistant or Clerk holding grade pay of Rs.2400 with minimum service of five years		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Promotion
25.	Court Assistant and Office Assistant or any other post of Clerk Grade-III	C		(i) 75% direct recruitment (ii) 25% from Ballif, Process Server, Daftari, Driver and other group D posts holding requisite qualification in 1:2 ratio i.e. for three vacancies in appointment on limited examination, one shall be filled up by Process Server, Daftari and Driver and two shall be filled up from Group D posts having an experience of three years on that posts	For direct recruit-ment Minimum Age 24 years Maximu m age as prescribe d by State Governm ent for equivalent posts	Bachelor's degree in any discipline from a recognized University Knowledge of Computer is essential	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre (However for first ten years they shall be assigned a particular district under control of District Judge). 75 % Direct recruitment- Written Examination & interview. 25 % through Limited Examination & interview.
26.	Other Clerks of Grade-I, II such as Miscellaneous Clerk, Statement Clerk and other Clerks Grade-II	С		As stated above for Grade-I and II posts		Bachelor's degree in any discipline from a recognized University Knowledge of Computer is essential	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. As provided for respective Grade post.
27.	Stenographer Grade-I and Personal Assistant	C	As per recommendation of National Judicial Pay Commission or State Government as the State Government, in both the cases, may notify	On selection on the basis of merit - cum -seniority based on skill test		(i) Bachelor's degree in any discipline from a recognized University (ii) Proficiency in computer typing (iii) A certificate of proficiency in Shorthand issued by Central / State Govt. Speed: (a) Shorthand-100	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. Selection (through interview)

<u> </u>			 (असापारण), य			
					wpm in English and 70 wpm in Hindi (only 5% mistake shall be admissible), and (b) Typing speed in English 40 wpm and 30 wpm in Hindi	
28.	Stenographer Grade-II	С	-do-		-do-	-do-
29.	Stenographer Grade-III	С	Direct Recruitment	Age as prescribe d by the State Govt. for equivalen t posts	-do-	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre (However, for first seven years they shall be assigned a particular district under control of District Judge) Written Examination, stenography test, typing test, computer proficiency test and interview.
30.	Court Reader- cum-Deposition Writer -cum- Typist	С	Direct Recruitment	Minimum age 21 years and maximum age as prescribed by each State government for their group 'C' posts.	recognized University with knowledge of computer Typing speed in	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre (However for first seven years they shall be assigned a particular district under control of District Judge) Written Examination, computer proficiency test and typing test& interview.
31.	Other Clerks under Grade-III	С	Direct Recruitment	Age as prescribe d by the State Govt. for equivalent posts	Bachelor's Degree from recognized University. Knowledge of Computer is essential	I. Centralized Committee II. Registrar General III. State Cadre IV. However for first seven years they

							shall be assigned a particular district
							under control of District
32.	Bailiff	С		On promotion from Process Server		Matric or its equivalent	I. Centralized Committee
				33,76,			II. District Judge
							III. District Cadre IV. Promotion
33.	Process Server	С		i) 90% direct	Minimum	-do-	I. Centralized Committe
				recruitment on the basis of	Age 21 years for direct		for direct recruitment a
			y notify	Screening Test and interview	recruit- ment		the District Committee
			ases, ma	(ii) 10% on promotion from	Maximum		for promotion II. District Judge
			oth the c	Group D	age as prescribe d by State		III. District Cadre
			State Government as the State Government, in both the cases, may notify		Governm ent for equiva- lent posts		IV. 90 % from promotion among Daftary, Driver, & other Group D Staff and 10% from direct recruitment. Direct recruitment
			nent as th				(screening test and interview).
34.	Driver	С	or	Direct Recruitment on the basis of Screening Test and driving as prescribed in the Rules	Minimum Age 21 years for direct recruitme nt by screening /skill test.	Matric or its equivalent qualification with valid driving licence	I. Centralized Committee for screening test, Driving Test and interview II. District Judge III. District Cadre
			As per recommendation of National Judicial Pay Commission		Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equivalent posts		IV. Direct Recruitment (Screening Test, skill test & interview by District Committee
35.	Daftari	D	er recomm	Direct recruitment on the basis of skill test and	Minimum Age 21 years for	Matric with experience in this field of one	I. Centralized Committe for skill test
			As pe	interview	direct recruitme	year	and interview
					nt Maximum		II. District Judge

<u></u>				(0)(1) 41(1) / L	3 4.2 20		
					age as prescribe d by State Governm ent for equivalen t posts		III. District Cadre IV. Direct Recruitment
36.	Peon (General + Orderly)	D	1800	Direct recruitment on the basis of Screening Test and interview as prescribed in the Rules	Minimum Age 21 years for direct recruit- ment Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equivalen t posts	Matric or its equivalent qualification	I. Centralized Committee for screening test and District Committee for interview II. District Judge, III. District Cadre IV. Direct Recruitment
37.	Fax Operator, Generator Operator-cum- electrician, Photo Machine Operator and Treasury Messenger	D	1800	Direct recruitment on the basis of Skill Test and interview as prescribed in the Rules	Minimum Age 21 years for direct recruit- ment Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equiva- lent posts	ITI in relevant field from recognized Institute	I. Centralized Committee for skill test and District Committee for interview II. District Judge III. District Cadre IV. Direct Recruitment
38.	Mali, Farash and Sweeper	D	1800	Direct recruitment on the basis of skill test/suitability/int erview/outsourcin g	Minimum Age 21 years for direct recruit- ment Maximum age as prescribe d by State Governm ent for equiva- lent posts	Literate with 1 year experience in relevant field	I. Centralized Committee for skill test and District Committee for interview II. District Judge III. District Cadre IV. Direct Recruitment/Outsour cing
39.	Night Guard	D	1800	Direct recruitment on the basis of screening test for suitability and	Minimum Age 21 years for direct recruit-	Matric or its equivalent qualification and three years experience in the	I. Centralized Committee for screening test and District Committee for

		interview.	ment	relevant field.	interview
				Preference will	
			Maximum	be given to	II. District Judge
			age as	candidate with	
			prescribe	home guard or	III. District Cadre
			d by State	from any	
			Governm	reputed security	IV. Direct
			ent for	agency.	Recruitment/
			equiva-		
			lent posts		Outsourcing

SCHEDULE-B STAFFING PATTERN OF CIVIL COURT AND SUB-DIVISIONAL COURT IN BIHAR Appendix 'A' DISTRICT AND SESSIONS COURT

Sl.No	Name Of Courts	Name of Posts	Group	Entitlement	Grade Pay
1	2	3	4	5	6
1	District & Sessions Judge	Administrative Officer (Judl.)-cum-DJ Shriestedar	Group B	1	5400
		Sr. Court Assistant-cum- Clerk (Grade - I)	Group C	1	4600
		Sr.Office Assistant-cum- Clerk (Grade-I)	Group C	1	4600
		Sessions Assistant (Grade - II)	Group C	1	4200
		Suit Assistant (Grade - II)	Group C	1	4200
		Misc. Assistant (Grade -II)	Group C	1	4200
		Statement Assistant (Grade -II)	Group C	2	4200
		Personal Assistant (Grade I)	Group C	1	4200
		Sr. Stenographer (Grade I) & Stenographer (Grade - II)	Group C	(1+2)3	4600 & 4200
		Court Reader -cum - Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Driver	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	5	1800
2	Principal Judge (Family Court)	Assistant Administrative Officer (Judicial)-cum- Shriestedar (Grade-I) (Group-B)	Group B	1	4800
		Sr. Court Assistant -cum- B. C. (Grade - I)	Group C	1	4600
		Sr. Office Assistant-cum- O.C. (Grade-I)	Group C	1	4600

		Misc. Assistant (Grade -II)	Group C	1	4200
		Personal Assistant (Grade I) & Stenographer (Grade - II)	Group C	(1+1)2	4200 & 4200
		Court Reader -cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Asstt. Accountant (For Office purpose) (Grade II)	Group C	1	4200
		Account Assistant-cum- Bill Clerk (For Office purpose) (Grade III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Driver	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	3	1800
3	Additional District &	Sr. Court Assistant-cum- B.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
	Sessions Judge - I	Sr. Office Assistant-cum- O.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
		Sr. Stenographer (Grade -I	Group C	1	4600
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Driver	Group C	1	1900
		Peon / Orderly	Group D	2	1800
4	Special Court (Each)	Sr. Court Assistant-cum- B.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
		Sr. Office Assisant-cum- O.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
		Sr. Stenographer (Grade - I)	Group C	1	4600
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Driver	Group C	1	1900
		Peon / Orderly	Group D	2	1800
5	Additional District &	Sr. Court Assistant -cum- B.C. (Grade - I)	Group C	1	4600

	С • т 1				
	Sessions Judge (Each Court)/	Sr. Office Assisant-cum- O.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
	Additional Principal	Sr. Stenographer (Grade - I)	Group C	1	4600
	Judge	Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon / Orderly	Group D	2	1800
6	Adhoc Additional	Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
	District & Sessions Judge	Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
	(Each Post)	Stenographer (Grade - II)	Group C	1	4200
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
7	Chief Judicial Magistrate- cum-Sub Judge-II- cum-	Assistant Administrative Officer (Judicial)-cum- Criminal Shriestedar (Group-B)	Group B	1	4800
	Assistant Sessions	Sr.Court Assistant (I/c G.R.) (Grade I)	Group C	1	4600
	Judge-I	Sr.Judicial Assistant-cum- Complaint Clerk (Grade I)	Group C	1	4600
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	2	4200
		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	2	4200
		Sr. Stengrapher (Grade-I)	Group C	1+1	4600
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Driver	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	3	1800
8	A.C.J.Mcum- sub Judge-I- cum- Assistant	Assistant Administrative Officer (Judl.)-cum- Shriestedar (Group-B)	Group B	1	4800
	Sessions Judge-II	Court Assistant-cum-Suit Clerk (Grade-II)	Group C	1	4200
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	2	4200

			•		
		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	2	4200
		Stenographer (Grade - II)	Group C	1+1	4200
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2+1	1800
9	Sub Judge(Each Court)	Assistant Admn. Officer (Judl)-cum-Shriestedar (Group-B)	Group B	1(for all Sub Judge Court)	4800
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - II)	Group C	1	2800
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
10	S.D.J.M./ Railway Magistrate	Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Jr. Office Assistant -cum- O.C. (Grade - III)	Group C	2	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
11	Munsif / Execution Munsif (Each)	Assistant Admn. Officer (Judl) -cum-Shriestedar (Group-B)	Group B	1(Only for Munsif)	4800
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	1	4200

		Misc. Clerk (Grade III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - II)	Group C	1	4200
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2+1(Only for Munsif)	1800
12	Judge In- Charge-cum-	Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
	Additional Munsif	Jr. Office Assistant -cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
13	J.M. First Class-cum-	Jr. Court Assistant -cum- B.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
	Additional Munsif(Each	Jr. Office Assistant -cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
	Court)	Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
14	J.M. Second Class	Jr. Court Assistant -cum- B.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Jr. Office Assistant -cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Data Entry Operator	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800

15	Vacant Court (if vacant upto 3 years)	Jr. Office Assistant -cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
	-	Peon/Orderly	Group D	1	1800

		"APPEND	OIX 'B' "		
		ESTABLIS	SHMENT		
1	I/c Administration	Chief Administrative Ofiicer cum Court Manager *	Group A	1	6600
2	English Office	Asst. Administrative Officer (Confidential)	Group B	1	4800
		Assistant Administrative Officer (Establishment) (Group-B)	Group B	1	4800
		Office Suprintendent	Group B	1	4600
		Office Assistant (Grade II)	Group C	1	4200
		Clerk-cum-Typist Hindi (Grade-III)	Group C	1	2400
		Clerk-cum-Typist English (Grade III)	Group C	1	2400
		Peon	Group D	3(including Fax operator)	1800
3	Nazarat	Assistant Administrative Officer (Nazarat) (Group-B)	Group B	1	4800
		Protocol Officer (Grade I)	Group C	1	4200
		Nayab Nazir (Grade II)	Group C	2	4200
		Baliff (Grade III)	Group C	3	2400
		Dispatcher (Grade III)	Group C	1	2400
		Account Assistant- cum-Cashier (Grade III)	Group C	1	2400
		Process Server	Group C	1 (for ech court)	1900
		Daftary	Group D	1	1800
		Peon	Group D	3(including 1 Generator Operator)	1800

		Peon (Night Guard)	Group D	2**	1800
4	Computer Cell	Programme Officer- cum Sr. Programmer (Group B)	Group B	1	4800
		Programmer (Grade I)	Group C	1	4600
		Assistant Programmer (Grade II)	Group C	3	4200
		Computer Assistant- cum-System Officer (Grade III)	Group C	3	2800
		Data Entry Operator- cum System Assistant	Group C	8*	1900
5	Accounts	Accounts Officer (Group B)	Group B	1*	4800
		Accountant (Grade I)	Group C	1*	4600
		Asst. Accountant (Grade II)	Group C	2*	4200
		Accounts Assistant- cum-Bill Clerk (Grade III)	Group C	3*	2400
		Cashier	Group C	1	2400
		Peon	Group D	2(includnig Trasury messenger)	1800
6	Library	Public Relation Officer-cum- Information Officer	Group B	1	4800
		Librarian (Grade II)	Group C	1	4600
		Asstt. Librarian (Grade III)	Group C	2	4200
		Library Assistant	Group C	4	2400
		Peon	Group D	2	1800
7	Forms &	I/c Clerk (Grade II)	Group C	1	4200
	Stationary	Clerk (Grade III)	Group C	1	2400
		Peon	Group D	2	1800
8	Copying	Head Copying Clerk (Grade I)	Group B	1	4800
		C.C + Copyist (Grade II & Grade III)	Group C	3	4200 & 2400
		Peon	Group D	2	1800
9	Record Room	Head Record Keeper (Grade I)	Group B	1	4800

			7,7		
		Asst. Record Keeper (Grade III)	Group C	2	2400
		Daftary	Group D	2	1800
		Peon	Group D	2	1800
		"APPENI	DIX 'C' "		
Red	quirement of Addi	tional Group - B, Group	- C & Group - D pos	t for Sub-divisi	onal Court
1	ADJ	Assistant Admn. Officer (Judl) cum Shriestedar (Group-B)	Group B	1 (for all the ADJs)	4800
		Sr. Court Assistant - cum- B.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
		Sr. Office Assisant- cum-O.C. (Grade - I)	Group C	1	4600
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade -I)	Group C	1	4600
		Driver	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
2	Sub Judge-I cum A.C.J.M cum-Asst. Sessions Judge	Assistant Admn. Officer (Judl) cum Shriestedar (Group-B)	Group B	1+1	4800
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Misc. Clerk (Grade - II)	Group C	1	4200
		Suit Clerk (Grade - II)	Group C	1	4200
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - II)	Group C	1	4200
		Driver	Group C	1	1900
		Peon/Orderly	Group D	3	1800
3	Sub Judge (Each Court)	Assistant Admn. Officer (Judl)-cum- Shriestedar (Group-B)	Group B	for all Sub Judge Court	4800
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
	1	1	1	1	ı


		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - II)	Group C	1	4200
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
4	S.D.J.M.	Assistant Admn. Officer (Judl)-cum- Shriestedar (Group-B)	Group B	1(When there is no ACJM)	4800
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Jr. Office Assistant - cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
5	Munsif	Admn. Officer (Judl) - cum-Shriestedar	Group B	1	4800
		Court Assistant -cum- B.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Office Assistant -cum- O.C. (Grade - II)	Group C	1	4200
		Misc. Clerk (Grade III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - II)	Group C	1	4200
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
6	J.M. First Class (Each Court) and Addl.	Jr. Court Assistant - cum- B.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
	Munisf.	Jr. Office Assistant - cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400


02		विहार गणट (असावार	.,, 23 3.2 23.1		
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
7	J.M. Second Class (Each Court)	Jr. Court Assistant - cum- B.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Jr. Office Assistant - cum- O.C. (Grade - III)	Group C	1	2400
		Court Reader-cum- Deposition Writer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Stenographer (Grade - III)	Group C	1	2400
		Peon/Orderly	Group D	2	1800
For Of	fice				
1	Nazarat	Nayab Nazir (Grade II)	Group C	1	4200
		Ballif (Grade III)	Group C	1	2400
		Clerk (Grade III)	Group C	1	2400
		Account Assistant cum Cashier (Grade III)	Group C	1	2400
		Process Server	Group C	1	1900
		Daftary	Group D	1 (per Court)	1800
		Peon	Group D	4 (including 1 Generator Operator & 1 Fax Operator)	1800
2	Copying	Copying Clerk (Grade II)	Group C	2	4200
		Peon	Group D	1	1800
3	Stationary	Clerk (Grade III)	Group C	1	2400
		Peon	Group D	1	1800
4	Accounts	Accountant (Grade I)	Group C	1	4200
		Asstt. Accountant (Grade II)	Group C	2	2400

		Peon	Group D	2 (including 1 Treasury Messenger)	1800
5	Record Room	Asstt. Record Keeper (Grade III)	Group C	1	2400
		Clerk (Grade III)	Group C	1	2400
		Daftary	Group D	1	1800
		Peon	Group D	2	1800
6	Computer Cell	Programmer (Grade I)	Group C	1	4600
		Assistant Programmer (Grade II)	Group C	1	4200
		Computer Assistant (Grade III)	Group C	2	2400
		Data Entry Operator	Group C	4	1900

Note: * In a district where the number of Courts and pendency of cases is less, the post of Chief Administrative Officer, Programme Officer, Public Information Officer & Accounts Officer may not be created.

- ~ Number of Copying Clerk / Copyist, Assistant Record Keeper, Assistant Accountant, Stationery Clerk Grade III, Account Assistant cum Bill Clerk may increase on the work load of the District concerned on the recommendation of the District Judge with the approval of the High Court.
- ** Posts of Night Guard may increase on the basis of number of building as well as size of the building, on the recommendation of the District Judge, with the approval of the High Court.
- ~ Posts of Assistant Programmer, Computer Assistant and Data Entry Operator may increase on the basis of number of files pending, filing and number of Courts, by the permission of the High Court.
- ~ In case of Court management for file, where number of files is more than 1000 in any court, post of one Jr. Office Assistant and one peon shall stand increased accordingly.
- :- In a District Court or in a Sub-divisional Court, as the case may be, if the number of process, required to be served in a month, exceeds five hundred (500) processes to be served in a month, one additional Process Server for every additional five hundered (500) processes to be served would accordingly stand increased.
- :-Post of Mali, Farash and Sweeper will be sanctioned as per Area, No. of Courts and Building in a particular Judgeship.





Schedule - D

For Process Server and other Group 'C' Posts

I. Written Test: - Total -85 marks Minimum qualifying marks – 34 marks

Hindi English Mathematics marks
 marks

Note: - All the questions shall be of 8th Standard Level.

II. Interview- 15 marks Minimum qualifying marks – 5 marks

(i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks

(iii) Experience – 5 marks (iv) Knowledge of job – 5 marks

For Driver (Group C)

I. Written Test: - Total -40 marks Minimum qualifying marks – 16 marks

Hindi, English and Mathematics Knowledge of Traffic signs Knowledge of Traffic rules marks
 marks

Note:- All the questions shall be of 8th Standard Level.

II. Driving - 50 marks Minimum qualifying marks –20 marks

(i) Skill- 30 marks (ii) Identification of Motor parts – 10 marks

(iii)Technical knowledge – 10 marks.

III. Interview- 10 marks Minimum qualifying marks – 4 marks

(i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks

(iii) Experience – 2.5 marks (iv) Knowledge of job – 2.5 marks

For Daftary (Group D)

I. Written Test: - Total - 45 marks Minimum qualifying marks – 18 marks

Hindi English Mathematics marks
 marks

II. Skill Test- 45 marks Minimum qualifying marks – 18 marks

(i) Binding - 15 marks (ii) Pasting - 15 marks (iii) Sealing - 15 marks.

67

III. Interview- 10 marks

Minimum qualifying marks – 4 marks

- (i) General appearance 2.5 marks
- (ii) Qualification 2.5 marks
- (iii) Experience 2.5 marks
- (iv) Knowledge of job 2.5 marks

For Peon (Group D)

I. Written Test: - Total – 85 marks Minimum qualifying marks – 30 marks

Hindi English Mathematics marks
 marks

Note: - All the questions shall be of 8th Standard Level.

II. Interview- 15 marks

Minimum qualifying marks – 6 marks

- (i) General appearance 2.5 marks
- (ii) Qualification 2.5 marks
- (iii) Experience 5 marks
- (iv) Knowledge of job 5 marks

Note:- Additional weightage up to ten (10) marks would be given to persons, who have necessary experience in cooking or as an electrician, carpenter, barber, plumber and gardener and have not obtained qualifying marks.

For Night Guard / Security Guard (Group D)

I. Written Test: - Total -85 marks

Minimum qualifying marks – 34 marks

Hindi English Mathematics marks
 marks

Note:- All the questions shall be of 8th Standard Level.

II. Interview- 15 marks

Minimum qualifying marks – 6 marks

- (i) General appearance 2.5 marks
- (ii) Qualification 2.5 marks
- (iii) Experience 5 marks
- (iv) Knowledge of job 5 marks

Note:- Additional weightage up to ten (10) marks would be given to persons, who come from security service and have not obtained qualifying marks.

Schedule - E

Tentative Time Schedule for recruitment

Date of vacancy as on 31st December of the year

Date of sending vacancies - 7th of January of the year.

Processing of vacancies - 22nd of January of the year.

Advertisement – 1st of March each year.

Date of receipt of applications – By 1st of April of the year.

Date of scrutiny of applications

and issuance of Admit Card - By 1st of May of the year.

Date of Examination – 1st of June of the year.

Date of publication of result – 1st of the July of the year.

Date of driving test/skill test/interview – 7th of July of the year.

Date of publication of final result- 22^{nd} July of the year.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 457-571+200-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in